# श्री धनावंशी हित

धनावंशी चेतना की मासिक पत्रिका

वर्ष : 1 अंक : 10 अक्टूबर 2020 मूल्य : 20 रु.

मंदिर पुजारी कब तक अन्याय सहे...?

घोर विसंगतियों की शिकार है डोली भूमि

डोली भूमि क्या है?

खून के आंसू रो रहा पुजारी

।।गुरुदेव श्री धनाजी महाराज को शत् शत वन्दन।।

रघुवीर आनन्द स्वामी (अहमदाबाद)

# HARIOM

## Steel Traders

**ALL TYPES PIPE**

*IRON*
*&*
*STEEL MERCHANT*

Contact
9375003924,
9327018427
02717-241876

Plot No. 12,
Shajanand Estate,
Near Gota Railway
Crossing, Gota,
Ahmedabad

Gmail : hariomsteeltraders2411@gmail.com
Website : www.hariomsteeltraders

**पावन सन्निधि**
श्री ठाकुरजी महाराज
भक्त शिरोमणि श्री धनाजी

**मानद परामर्श**
परिव्राजक श्रीसीतारामदास स्वामी

**सम्पादक एवं प्रकाशक**
चेतन स्वामी

**सहायक सम्पादक**
प्रशांत कुमार स्वामी, फतेहपुर
श्रीधर स्वामी, सुजानगढ़
(अवैतनिक)

**अकाउंट विवरण**
**Dhanavanshi Prakashan**
A/c No. - 38917623537
Bank - State Bank of India
Branch - Sridungargarh
IFSC code - SBIN0031141

**सम्पादकीय कार्यालय**
श्री धनावंशी हित
धनावंशी प्रकाशन, कालूबास,
श्रीडूंगरगढ़-331803
(बीकानेर) राज.
M.: 9461037562
email:chetanswami57@gmail.com

**सम्पादक प्रकाशक**
चेतन स्वामी द्वारा प्रकाशित
तथा महर्षि प्रिण्टर्स, श्रीडूंगरगढ़
से मुद्रित।

पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के स्वयं के हैं। उनसे सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। रचना की मौलिकता व वैधता का दायित्व स्वयं लेखक का है, विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ रहेगा।

**मूल्य : एक प्रति 20/- रु.**
**वार्षिक 200/- रु.**

# श्री धनावंशी हित

धनावंशी चेतना की मासिक पत्रिका

वर्ष : 1 अंक : 10 अक्टूबर 2020 मूल्य : 20/- रुपये

## भगवत प्रार्थना

*तुमको भूलूँ अब नहिं नाथ, दासपर ऐसी कृपा करो।*
*चढ़े रहो चित ऊपर मेरे, कबहू नायँ टरो।।टेर।।*
*बिकल रहूँ दरशन बिनु तेरे, ऐसी आग लगा दो मेरे।*
*जिन्दा रह नहिं सकूँ एक पल, ऐसी लगन भरो।।1।।*
*चाहूँ स्वर्ग नरक में डारो, सुख चाहूँ तो दुख मत टारो।*
*प्यारे लगते रहो मुझे तुम, दूजी चाह हरो।।2।।*
*माँ माँ कह बालक अकुलावे, ले गोदी झट हृदय लगावे।*
*आपन अनन्त जनम की माता, धीरज काहे धरो।।3।।*

### अनुक्रमणिका

* सम्पादकीय-
  मजबूत संगठन से डोळी भूमि मुद्दे का निराकरण संभव है/04
* समाचार-/05
* आलेख-
  डोळी भूमि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि/07
  डोळी भूमि और राजस्व रिकॉर्ड/10
  मंदिर पुजारी कब तक अन्याय सहे?/13
  घोर विसंगतियों की शिकार है डोळी भूमि/14
  मंदिर भूमि पुजारियों की गलफांस/16
  डोळी भूमि क्या है?/18
  खून के आंसू रो रहा है पुजारी/19
  डोळी भूमि/21
  महर्षि अरविंद का शिक्षा दर्शन/22
  ज्ञान के आगार होते हैं विभिन्न संप्रदायों के विभिन्न धाम/26
* आपके पत्र-आपकी भावनाएं/28

सम्पादकीय

# मजबूत संगठन से डोळी भूमि मुद्दे का निराकरण संभव है।

अनुरोध

मंदिर पुजारियों के लिए डोली भूमि का खातेदारी अधिकार मिलना एक जायज मांग है और इस मसले की कानूनी लड़ाई लडऩे के लिए कतिपय संगठन भी बने हुए हैं। वे अपनी लड़ाई को जीतने में कितने कामयाब हो पाए हैं– यह समीक्षा का विषय है। राजस्थान में पुजारी महासभा इसके लिए कार्य कर रही है, किन्तु पुजारी महासभा अपनी जगह काम कर रही है, पर एक आवश्यक समिति जो इस मुद्दे को जानते हैं–उनकी अगवाई में तुरत गठित करें। हर वह धनावंशी जिनके पास डोळी भूमि है–वह इस समिति का अनिवार्य सदस्य बने और सब डोळी भूमि की विडम्बनाओं से ग्रसित धनावंशी पुजारी एक होकर यह लड़ाई लड़े। जीत मिलेगी। पहले कई भाई लोगों ने पुजारी महासभा के नाम पर यह कार्य किया,पर सफलता नहीं मिली।

धनावंशी मंदिर एवम मंदिर भूमि संरक्षण समिति का गठन कर कार्य प्रारंभ करें। समिति अनावश्यक धन संग्रह न करे। अगर एक हजार मंदिर हैं तो किसी भी मंदिर पुजारी से सौ रुपये से अधिक राशि इस लड़ाई के लिए न ली जाए। धनावंश के अनेक धुरंधर वकील हैं, उनसे यह केश निशुल्क लडऩे का आग्रह किया जाए। डोळी भूमि वाले धनावंशी मंदिरों का पूरा विवरण तैयार हो। कोई दूसरा कब्जा कर रहा है तो उसे समिति के सभी सदस्य संगठित रूप से पहुंच कर समझाए कि हम धनाजी के अनुयायी हैं। फिर आप हमारे साथ यह अन्याय कैसे कर सकते हैं।

जगह–जगह धनाजी के मंदिर बना कर अपने धनावंशी होने की स्पष्ट पहचान बनाएं। धनावंशी को किसी दूसरे के भरोसे न रहकर अपने बल पर सब काम करने होंगे।

**कृपाकांक्षी**
**चेतन स्वामी**

## पुजारी की भूमि पर दूजे क्यों आँख गड़ाए?

एक कहावत रही है कि––सबै भूमि गोपाल की––अर्थात धन,सम्पदा,भूमि सब कुछ भगवान के हैं, पर ठाकुर जी की सेवा करनेवाले पुजारियों के जीवन–यापन के लिए राजा महाराजाओं ने अनुग्रह कर जो कृषि भूमि डोळी रूप में दी थी और परम्परा से वह पुजारी परिवार के पास चली आ रही थी। एक दिन वह पुजारी एक काले कानून के कारण हतप्रभ रह गया। अपनी कही जानेवाली भूमि का वह मालिक नहीं रहा और भूमि का खातेदार मंदिर मूर्ति को बनाए जाने से वह ढेरों विसंगतियों का शिकार हो गया। हम एक मोटे अनुमान से यह मानते हैं कि धनावंश समुदाय के भी एक हजार से अधिक मंदिर हैं और लगभग मंदिरों को अनुग्रहपूर्वक जमीनें मिली हुई है। मंदिरों के पुजारी उन जमीनों को जोतकर मंदिर पूजा की व्यवस्था तथा अपना भी भरण–पोषण करते हैं। रामजाने क्या सोचकर धार्मिकता में विश्वास रखनेवाली राजस्थान की भैरोंसिंह शेखावत सरकार ने एक निर्णय कर इन मंदिर भूमियों का मालिक ठाकुरजी को बना दिया। यह शायद इसलिए किया गया कि पुजारी इस भूमि को बेच न दे। पर इस निर्णय से अनेक दूसरी मुश्किलें प्रारंभ हो गई। भूमाफिया प्रवृत्ति के लोगों की ठाकुरजी के नाम चढी इस भूमि पर कुदृष्टि हो गई। कुछ पुजारियों की शिथिलता और अवहेलना रही। ठाकुर पूजा के लिए गहन भाव नहीं बन पाया। एक श्रेष्ठ पुजारी की भूमिका का निर्वहन नहीं हो पाया। पर, फिर भी पुजारी को मंदिर की भूमि से अधिकार च्युत कर देना तो उसे मानसिक रूप से वेदना देना ही रहा। इस कुठाराघात को पुजारी कैसे सहे? तत्काल पुजारियों को डोळी भूमि का खातेदारी अधिकार मिले,यह एक जायज मांग है। सैकड़ों वर्षों से पुजारी के अधिकार में रही भूमि पर दूसरा आंख क्यों गड़ाए?

**जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है।**

समाचार

# धनावंशी स्वामी समाज ने लिए हित में निर्णय

श्रीडूंगरगढ़ धनावंशी स्वामी सम्प्रदाय के लोगों की ऑनलाइन बैठक सोमवार को हुई। इसमें समाज हित के कई कार्य करने का निर्णय लिया गया। इस वेबिनार बैठक में विभिन्न गांवों के साठ से अधिक समाज के लोगों ने भाग लिया। बैठक को विस्तृत रूप से डॉ. चेतन स्वामी ने सम्बोधित किया। उन्होंने बताया कि धनावंशी पंथ एक आध्यात्मिक पंथ है। भक्त धनाजी महाराज द्वारा प्रवृतित इस पंथ को अपनी आध्यात्मिक धरोहर की संरक्षा करनी चाहिए। इस अवसर पर यह निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही समाज के सामाजिक–धार्मिक और शैक्षिक कार्यों को गति देने के लिए धनावंशी स्वामी महासभा का गठन किया जाए तथा एक तदर्थ समिति को यह कार्य सौंपा जाए। इस दौरान धनावंशी वेबसाइट का निर्माण इंजीनियर प्रेमदास स्वामी ने किया। ऑनलाइन बैठक में भाग लेने वाले समाज के लोगों ने कहा कि कोरोना काल में एक जगह एकत्र होने की बजाय इस तरह से मीटिंग किया जाना सुगम है।

# दोषियों को मिले कड़ी से कड़ी सजा को लेकर वैष्णव समाज ने दिया ज्ञापन

मेड़तासिटी। विगत कुछ दिनों पूर्व जोधपुर जिले के लोहावट में एक नाबालिग वैष्णव समाज की लड़की हर्षा वैष्णव के साथ कुकर्म करके हत्या कर शव को पटरी पर डाल कर आत्महत्या का रूप दिया गया था। तथा करौली जिले के सपोटरा में डोली भूमि विवाद को लेकर पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई है इन दोनों घटनाओं को लेकर पूरे वैष्णव समाज में भारी आक्रोश है और इसके लिए अखिल राजस्थान पुजारी महासभा तथा अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ नागौर के द्वारा मेड़ता तहसील अध्यक्ष रणजीत वैष्णव मेड़ता सिटी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। रणजीत वैष्णव ने बताया कि प्रदेश में अप्रिय घटनाओं के कारण वैष्णव समाज में सरकार के खिलाफ भारी रोष है। इसका खामियाजा अगले चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ेगा। पुजारी महासभा मेड़ता अध्यक्ष बस्तीराम स्वामी ने बताया कि इस प्रकार की घटनाएं वैष्णव समाज के लिए नहीं अपितु प्रदेश की संपूर्ण जनता के लिए निंदनीय है। दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही व पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। अन्यथा वैष्णव समाज लामबंद होकर आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सरकार जिम्मेदार होगी। इस दौरान वैष्णव सेवा संघ प्रदेश उपाध्यक्ष शिवप्रकाश देवमुरारी, सेवा संघ जिला मंत्री अभिषेक वैष्णव, वैष्णव समाज मेड़ता अध्यक्ष सत्यनारायण वैष्णव, धनावंशी वैष्णव समाज अध्यक्ष बस्तीराम स्वामी, वैष्णव सेवा संघ प्रदेश उपाध्यक्ष रामअवतार वैष्णव, रतनलाल वैष्णव, राजू वैष्णव, रणजीत वैष्णव, गणेशदास वैष्णव, दर्जनों समाज बंधु उपस्थित रहे।

**जीवन में उन सपनो का कोई महत्त्व नहीं, जिनके लिए अपनों से ही झल करना पड़े।**

## समाचार

# तहसीलदारों के जिम्मे है मंदिर माफी की जमीनों से अतिक्रमण हटाना

जयपुर। प्रदेश में मंदिर माफी की जमीनों पर अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी तहसीलदार की है। राजस्व विभाग ने संभागीय जमीन पर अतिक्रमण करने वालों की तरह ही मंदिर माफी भूमि के अतिक्रमियों के खिलाफ कारवाई करने के निर्देश दे रखे है। लेकिन तहसीलदारों की लापरवाही के कारण मंदिर माफी की जमीनों पर पुजारियों व सेवादारों को बेदखल कर भूमाफिया काबिज हो जाते हैं। शहरों के आसपास तो ऐसी जमीनों पर कॉलोनिया ही बना दी। करौली के सपोटरा में पुजारी के बाद राजस्व विभाग ने मंदिर माफी की जमीनों पर अतिक्रमण पर कारवाई करने को कहा है। कलेक्टरों को इसकी रिपोर्ट भी सरकार को भिजवानी होगी। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का कहना है कि मंदिर माफी की जमीन से जुड़े प्रकरणों को दिखवाया जा रहा है। राजस्व विभाग ने मंदिर माफी की जमीनों के बारे में कंफ्यूजन दूर करने के लिए पिछले 20 साल में कई सर्कुलर निकाले है। ताकि संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, एसडीएम व तहसीलदार इन जमीनों पर नजर रख सके। राजस्व विभाग ने सितंबर 2018 में जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि मंदिर भूमि पर अतिक्रमण को लेकर पुजारी या पटवारी की ओर से जानकारी देने पर तहसीलदार अतिक्रमी के खिलाफ कारवाई करेगा। कलेक्टर भी मूर्ति मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्ट सिवायचक व चारागाह भूमि की तरह पटवारी व गिरदावर से नियमित रूप से लेगा। अतिक्रमण होने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर कारवाई करनी होती है। लेकिन पटवारी व गिरदावर की ओर से नियमित तरीके से रिपोर्ट ही नहीं आती है।

# अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा जिले कलेक्टरों को ज्ञापन

जोधपुर। अखिल राजस्थान पुजारी महासभा के प्रदेश प्रचार मंत्री (मीडिया स्वतंत्र प्रभार) गिरधारी वैष्णव लीलियाँ ने प्रेस नोट जारी कर बताया है कि हमारे महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट बलवंत वैष्णव के निर्देशानुसार राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टरों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन में सर्वप्रथम करौली पुजारी हत्याकांड की अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ पुरजोर शब्दों में निंदा करता है। राजस्थान में 12 लाख पुजारी परिवार निवास करते हैं और हम सभी पुजारी मंदिर और मंदिर के साथ जुड़ी कृषि भूमि की कानून में गलत कानूनी व्याख्या करने व गलत नियम बनाए जाने से व्यथित है, इसलिए इस ज्ञापन के माध्यम से आप सन 1993 की तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा 13-12-1993 को काले आदेश को विड्रो कर मंदिर के साथ जुड़ी कृषि भूमि पर ग्रस्त किसान पुजारी को खातेदारी अधिकार प्रदान कराया जाए तथा मंदिरों के साथ जुड़ी जमीनों पर पुजारियों को बेदखल कर असामाजिक तत्वों और भू माफियाओं द्वारा गैरकानूनी तरीके से राजस्थान में कई गांवों व शहरों में कब्जा कर लिया है उनसे कब्जा छुड़वा कर पुन उन जमीनों पर संबंधित पुजारी परिवार को काबिज करवाया जाये।

**निर्णय के क्षणों में ही भाग्य का निर्माण होता, भगवान सबको साहस और सफलता प्रदान करते है।**

आलेख



● रामनिवास स्वामी (खदाव)

# मन्दिर माफी/डोली भूमि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं डोली भूमि के मालिकाना हक का निदान

हिन्दुस्तान के इतिहास में ग्यारहीं शताब्दी से लेकर सोलहवीं शताब्दी तक विभिन्न प्रकार के विदेशी आक्रमणकारी आये। इनमें मो. गजनवी सन् 1001 ई. से 1002 ई, गौरी, गुलामवंश, खिलजीवंश 1290 ई. से 1320 ई. तक, तुगलक वंश सन् 1320 ई. से 1414 ई., लोदी वंश 1451 ई. से 1526 ई. व मुगल वंश सन् 1526 ई. से 1857 ई. तक प्रमुख थे। ये समस्त आक्रमणकारी इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। कुछ आक्रमणकारी मंदिरों में अवस्थित सम्पतियों को लूटकर ले गए एवं मंदिरों में तोड़-फोड़ कर चले गए। जैसे मो. गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा व मंदिर की अपार धन-सम्पति को लूट कर ले गया। बाकी के आक्रमणकारियों ने हिन्दुस्तान पर अपना स्थायी साम्राज्य स्थापित करने एवं इस्लाम धर्म को हिन्दुस्तान में प्रतिस्थापित करने हेतु सनातन धर्म के मंदिरों/मठों को तोड़कर अपने धर्म के इबादत खाने स्थापित करने का कार्य किया, जिसका ज्वलंत उदाहरण राम जन्म भूमि मन्दिर बनाम बाबरी मस्जिद है। ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण है। इस प्रक्रिया से सनातन धर्म को हो रही क्षति को रोकने हेतु सनातन धर्म में अनेक साधु-संत, महात्मा हुए जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा हेतु धार्मिक आंदोलन चलाया। इस कालखण्ड को इतिहास में भक्ति आंदोलन काल के नाम से जाना जाता है। पौराणिक काल में सनातन धर्म के प्रार्थना स्थल/श्रद्धा के केन्द्र यथा मंदिर, मठ इत्यादि राजा-महाराजाओं के द्वारा राज आश्रय में उनकी राजधानियों में ही स्थापित हुआ करते थे। इन मंदिरों/मठों के तोड़े जाने की प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति आंदोलनकाल में हुए साधु-संतो, महंतो, धर्माचार्यों ने सनातन धर्म के श्रद्धा केन्द्रों को बचाए रखने एवं बनाए रखने हेतु हर ग्राम, कस्बों व शहरों में मंदिर, मठ, गुरुद्वारे इत्यादि पूजा स्थल स्थापित करने हेतु जनमानस को जागरूक करते हुए सनातन धर्म स्वावम्बियों का आह्वान किया कि हर ग्राम, कस्बे में

**जिस धागे की गांठे खुल सकती है, उस पर कभी कैंची नहीं चलानी चाहिए।**

मंदिर, मठो, गुरुद्वारों का निर्माण किया जाये ताकि ये लोग किस-किस को तोड़ेंगे। यानी सनातन धर्म के श्रद्धा स्थलों को कायम रखा जा सके।

करीब-करीब हर ग्राम में स्थापित मंदिर, मठ की सेवा पूजा करने हेतु एक महंत सर्वाधिकार रूप से नियुक्त किया गया जिसे बोलचाल में पुजारी कहा गया। इन ग्रामीण मंदिर महंतो को तत्कालीन जागीरदारों द्वारा कुछ कृषि भूमि गुजारे हेतु भेंट की गई। जिसका जागीरदारों द्वारा लगान नहीं वसूला जाता था। यही भूमि डोली भूमि कहलाई। जिस प्रकार तत् समय नाई, खाती, धोबी, कुम्हार, पुरोहित इत्यादि जातियों को जागीर की बेगार निकालने की एवज में उनसे लगान नहीं लिया जाता था और इनको पारिवारिक गुजारे हेतु प्रदत भूमि भी डोली भूमि कहलाती थी। उसी तर्ज में गांव के महंत/पुजारी को भी गांव के मंदिर की सेवा पूजा करने की बेगार की एवज में लगान मुक्त डोली भूमि प्रदान की गई जिससे वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें। महंत लोगों की सनातन धर्म के देवी-देवताओं में असीम आस्था के कारण वे इस डोली भूमि को ठाकुरजी की भूमि बताते हुए ठाकुरजी के द्वारा दिया हुआ प्रसाद मानते थे। कालान्तर में महंतों को भेंट की गई यही भूमि राजस्व रिकॉर्ड में डोली बनाम मंदिर ठाकुरजी फलां/डोली बनाम मठफलां.. दर्ज होने लग गई। महंत लोगों के भोलेपन का खामियाजा आज की पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। जबकि समान प्रकार से पुरोहित, नाई, खाती, कुम्हार आदि को प्रदत डोली को खातेदारी में दर्ज किया गया है।

आजादी के बाद कृषि भूमि के मालिकाना हक एवं लगान वसूली की व्यवस्था हेतु सरकार ने मुख्य रूप से निम्न कानून बनाएं-

1. भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्गहण अधिनियम, 1952
2. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
3. भू-राजस्व अधिनियम, 1956

यहां यह उल्लेखनीय है कि जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 10 के अनुसार मंदिर माफी भूमि जागीर भूमि कहलाएगी तथा इसी अधिनियम की धारा 9 के तहत अगर मंदिर माफी की भूमि पर कोई काश्तकार पट्टेदार, खातेदार, खड़मदार या किसी अन्य वंशानुगत रूप से अभिलिखित हो तो वह खातेदार काश्तकार कहलाएगा। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 व 19 के तहत अधिनियम लागू होने की दिनांक 15.10.1955 को काबिज काश्तकार खातेदार काश्तकार कहलाएगा। भू राजस्व अधिनियम 1956 की रूह के अनुरूप डोली भूमि का लगान वसूली हेतु राजस्थान सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन 1.7.1963 को जारी कर डोली भूमि पर काबिज काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जिसमें काश्तकार पुजारी भी थे। मंदिर माफी डोली भूमि के खातेदारी अधिकारों को लेकर उत्पन्न विवादों के संदर्भ में यह प्रासंगिक है कि इस विवाद को सुलझाने हेतु मंदिर का श्रेणीकरण किया जाना अत्यावश्यक है। जैसे कि राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959 में भी मंदिरों का श्रेणीकरण किया हुआ है। यथा हाकमी मठ, मंदिर तथा निजी मठ, मंदिर। यहां हाकमी मठ, मंदिर से तात्पर्य सरकारी प्रभार के मंदिरों से हैं जो राजस्थान में संख्या में एक हजार के लगभग है व निजी मंदिर से तात्पर्य संत-महंतों द्वारा स्थापित निजी मंदिरों से है। यानि जिनका नियंत्रण सरकार के अधीन नहीं है अर्थात् वंशानुगत रूप से नियंत्रण मंदिर महंत के हाथ में था व है। इस प्रकार सरकारी प्रभार के मंदिरों व निजी मंदिरों की डोली भूमि को कानून की एक ही दृष्टि से देखना कदाचित भी न्यायोचित नहीं है। सरकारी प्रभार के मंदिरों में जहां ट्रस्ट बने हुए है तथा पुजारी वेतनभोगी है एवं वंशानुगत रूप से नहीं है। इन मंदिरों में से कई मंदिर ऐसे भी है जहां ट्रस्ट नहीं बने हुए है व पुजारियों को किसी प्रकार का वेतन भी नहीं दिया जाता परंतु वहां मंदिरों में चढ़ावे के रूप में काफी आमदनी हो जाती है जिससे पुजारियों के परिवार का भरण-पोषण हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के अनेक छोटे-मोटे निजी श्रेणी के मंदिर जिनमें चढ़ावा नाम-मात्र का भी नहीं आता इन मंदिरों के पीछे जो डोली भूमि है जिस पर पीढ़ियों से एवं सैकड़ों वर्षों से वंशानुगत रूप से

**रिश्तों को, गलतियाँ उतना कमजोर नहीं करती जितना कि ग़लतफ़हमियाँ कमजोर कर देती है।**

काश्तकार पुजारी काश्त करके अपने परिवार का भरण-पोषण उक्त कृषि भूमि की आय से करते आ रहे है। राजस्थान में इस प्रकार के निजी श्रेणी के मंदिर 99 प्रतिशत है एवं सरकारी प्रभार के बड़े मंदिरों की संख्या 1000 के लगभग है जो कुल मंदिरों की संख्या का मात्र 1 प्रतिशत के लगभग है। निजी श्रेणी के 99 प्रतिशत मंदिर, मठ महंत (पुजारी) इस भूमि की आड़ में अन्य लाभ भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं।

भारत एक धर्म निरपेक्ष गणराज्य है। हमारा संविधान समस्त धर्मों को समान रूप से अपने-अपने धर्मों की धर्म व्यवस्था करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अत: धर्म व्यवस्था एवं धार्मिक परिसम्पतियों के सम्बंध में आवश्यकता से अधिक सरकारी हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं देता है। धार्मिक आस्था के लिए संवैधानिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है; तो फिर किसी एक धर्म विशेष के आस्था केन्द्रों पर अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप/स्थानीय हस्तक्षेप क्यों डाला जा रहा है। डोली भूमि के सम्बन्ध में मूल से जो कानून यथा भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, भू-राजस्व अधिनियम इत्यादि जो बने है उनकी मूल अवधारणा काश्तकार-पुजारी जो पीढ़ियों से काश्त कर रहे है; उन्हें डोली भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने की अवधारणा रही है, परन्तु कतिपय निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर 1 प्रतिशत बड़े पीठाधीश्वर अपने स्वार्थवश उक्त कानूनों की गलत व्याख्या करवाकर अपने प्रभाव से अनावश्यक परिपत्र समय-समय पर जारी करवाए गए है। जैसे-परिपत्र दिनांक 13.12.1991 एवं इस शृंखला के अन्य परिपत्र इत्यादि।

ये जो परिपत्र जारी हुए है आपस में विरोधाभासी भी है एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत भी हैं। कोई भी परिपत्र मूल कानून को सुपरसीड नहीं कर सकता।

प्रजातंत्र में लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बल दिया गया है। परन्तु यहां सैकड़ों वर्षों से वंशानुगत पीढ़ियों इस भूमि पर काश्त कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे, काश्तकार-पुजारियों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है जो कि कदाचित भी लोक कल्याणकारी एवं न्याय संगत नहीं है।

अत: राज्य सरकार को चाहिए कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मद्देनजर रखते हुए एवं काश्तकारी कानूनों की सटीक एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवधारणा के अनुरूप व्याख्या करते हुए काश्तकार-पुजारियों को न्याय प्रदान करना चाहिए।

डोली भूमि के आन्दोलन से जुड़े हुए महंतो, संतों, पुजारियों से भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि वे अपने निजी हितों, स्वार्थों से ऊपर उठकर काश्तकार-पुजारियों को न्याय दिलाने हेतु एक मंच पर आकर संगठित होकर राज्य सरकार से डोली भूमि मुद्दे का न्यायोचित समाधान करने हेतु आह्वान करे ताकि पुजारी समाज का भला हो सके।

●●●●●

स्व प्रेरणा और उमंग जब तक नहीं होती है--तब तक कोई काम सफल नहीं हो सकता। दूसरी चीज होती है--संकल्प। बिना संकल्प के स्फूरणा नहीं होती। मुझे बीकानेर जाना है तो सबसे पहले जब बीकानेर जाने का विचार मेरे मन में आया तो जाने के लिए स्फुरित हो जाऊं। मन में जाने का संकल्प दृ हो और चलने की खातिर उद्यत होऊं। चलने का उद्योग करूं। जब मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा है तो कोई दूसरा कितना भी उकसाए, बात बन नहीं सकती। ईर्ष्या से भरा हुआ हमारा धनावंशी समाज एक अलग ऐंठ में रहता है। जिसको अपने गुरु के साथ बेरभाव रखना है, उस जड़ समाज को क्या आप आध्यात्मिक ज्ञान दे सकते हैं? जिस समाज में ज्ञान की महत्ता नहीं है। वह एक उज्जड समाज ही कहलाएगा।

**जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखिए और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने का हुनर रखिए, रिश्ते नहीं टूटेंगे।**

आलेख

# डोली भूमि (मन्दिर माफी भूमि) पुजारी काश्तकारों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु

आज से 21 वर्ष पूर्व पुजारी वर्ग, वैष्णव, वैरागी, स्वामी, साधु, धनावंशी समस्त अन्य जाति जिसमें 36 कौम पुजारी वर्ग में हैं, उनके लिए यह काला अध्याय (कालादिन) साबित हुआ

**-धर्मचन्द स्वामी, सरदारशहर**

डोल भूमि (मन्दिर माफी जमीन) राजस्थान के प्रत्येक गांव, कस्बे, शहरों में हैं। रियासत कालीन राजा-महाराजाओं, जागीरदारों ने मन्दिरों, मठों, गुरुद्वारों यहाँ तक मस्जिदों के सेवा पूजा करने वाले पुजारी महंतों तथा मठाधीशों के परिवार का जीवन यापन हेतु कृषि करने बाबत उनके लिए भूमि दान की थी। भूमि छोड़ी थी वो डोली भूमि है। पुजारी वर्ग अपना बहुत सारा समय मन्दिरों की पूजा-अर्चना में व्यतीत करते रहे हैं। इसलिए उनके जीवनयापन हेतु दी गई डोली भूमि पर राजा-महाराजाओं ने लगान माफ कर रखा था। इसी भूमि की आय में अपने परिवार के साथ-साथ मन्दिर का रख-रखाव पुजारियों ने किया था। इन जमीनों में सैकड़ों वर्षों से पुजारी वर्ग काश्त करता आ रहा है। इतने लम्बे समय से इस भूमि पर कृषि करने के कारण संवैधानिक दृष्टि से वह उसका स्वत: मालिक है। आजादी से पहले से ही यह वर्ग इन जमीनों पर काबिज है। आजादी के बाद भी बहुत सारी भूमि खाली बंजर पड़ी रही थी लेकिन पुजारी वर्ग ने अपने लम्बे समय से जो जमीन डोली भूमि थी उसको बंजर से कृषि योग्य बनाई। उस पर ही काबिज रहना मुनासिब समझा। आजादी के समय तक खूब भूमि खाली पड़ी थी। आजादी के बाद कुछ वर्ष इस भूमि पर सरकार ने लगान वसूली की। कुछ वर्ष लगान माफी भी रखी तथा 30 वर्षों से अधिक समय में डोली कृषि भूमि पर लगान नहीं लगता था।

लगान की बात मैनें इसलिए लिखी है कि कुछ पुजारी विरोधी सामाजिक तत्व प्राय: कहते हैं रहे कि पुजारी वर्ग ने कभी लगान नहीं दिया। इसलिए यह जमीनें मन्दिर की रहेगी। इस पर पुजारी का हक नहीं है। जबकि ऐसा नहीं था। पुजारी वर्ग ने वर्षों तक लगान दिया है।

समाज के सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में हमेशा ही पुजारी, महंत, मठाधीशों का प्रभाव लम्बे समय से रहा है। सामाजिक कार्यो के फैसले गांव के पुजारी महंत की भागीदारी से होते थे। महंत पुजारी का गांव में समयान्तराल के बाद प्रभाव कम हुआ। इसके बाद पुजारी वर्ग की कस्बे, शहरों एवं गांव की बेशकीमती डोली भूमि पर भू-माफियाओं की नजर पड़ने लगी। जहाँ पुजारी कमजोर था उन जमीनों पर कब्जे होने शुरु हो गये। इस दौरान कुछ पुजारी कोर्ट-कचहरी में चले गये, कोर्टों में मुकदमें दर्ज करवाये गये।

राजस्थान सरकार के अनुसार सन् 1952 में तत्कालीन सरकार ने आदेश जारी किया कि जो काश्तकार आज जिस जमीन पर काश्त कर रहा है वो उस जमीन का मालिक है। यानी उसका राजस्व रिकॉर्ड में मालिकान हक उसे मिले। उसका नाम दर्ज किया गया। सभी किसानों की तरह पुजारी वर्ग भी लम्बे समय से डोली भूमि पर काश्त कर रहे थे, उनको काश्तकार एवं खातेदार नाम प्रदान किया गया।

1963 में गजट नोटीफिकेशन द्वारा पुजारी को पूर्ण खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। आजादी के बाद डोली की बेशकीमती जमीनें जो शहरों के नजदीक थी, वहां भूमाफियाओं ने उन जमीनों पर कब्जा करना शुरु कर दिया। पुजारी वर्ग के साथ संघर्ष करना शुरु कर

**जीतने के लिए हिम्मत चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है।**

दिया। तब मजबूर होकर अनेक पुजारी महंत कोर्ट–कचहरियों में गये। अनेक मुकदमें हाई–कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुए। इस दौरान वर्ष 1991 में तत्कालीन राज्य सरकार ने 13/12/1991 में राजस्व ग्रुप (6) क्रमांक पं.2(4) राज/4/90/37 जयपुर दिनांक 13/12/1991 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड से पुजारी का नाम विलोपित (हटाने) करने का काला आदेश परिपत्र के द्वारा जारी किया। 13/12/1991 यानी (आज से 29 वर्ष पूर्व) पुजारी वर्ग, वैष्णव, वैरागी, स्वामी, साधु, धनावंशी समस्त अन्य जाति जिसमें 36 कौम पुजारी वर्ग में है, उनके लिए यह काला अध्याय (कालादिन) साबित हुआ तथा डोली भूमि पर इस आदेश के बाद पुजारी वर्ग से गांव, शहर में झगड़े शुरु हो गये। लम्बे समय से पूजा करने वाले पुजारी वर्ग को मन्दिरों तथा जमीनों से बेदखल कर दिया, दूसरे नये पुजारियों को लगा दिया, कई गांवों में ट्रस्ट बना दिये गये, कहीं जमीनों की बोली लगने लगी, उदाहरण के तौर पर कपूरीसर गांव में नहरी जमीन जो धनावंशी स्वामियों के पास थी, आज गांव बोली लगाकर दूसरो देता है। रोझां, फूलदेसर, लूणकरणसर गांव वालों ने कब्जा कर लिया। ऐसी बहुत सारी डोली भूमि है, जिसके लिए पुजारी काश्तकारों को अपनी जमीन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

**मन्दिर माफी (डोली भूमि की स्थिति एक नजर में)**

1. राजस्थान में कुल अराजकीय मन्दिरों की सख्या 07 लाख 83 हजार 982 है। जिनकी डोली भूमि पर लाखों परिवार काश्त कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सरदारशहर तहसील में विभिन्न मन्दिरों की डोली भूमि 13 हजार 400 बीघा लगभग है, जिसमें 70 प्रतिशत स्वामी समाज के पास है तथा धनावंशी समाज की बात करें तो इस तहसील में 35 प्रतिशत लगभग जमीन धनावंशी पुजारी वर्ग के पास है।
2. 13/12/1991 के आदेश से पूर्व डोली भूमि अधिकतर पुजारियों के नाम खातेदारी में थी, जबकि कुछ मंदिर काश्तकारी में दर्ज थे।
3. 1952 के आदेशानुसार 1963 में गजट नोटिस के द्वारा पुजारियों को पूर्ण खातेदारी प्रदान की गई थी।

**बीकानेर संभाग में पुजारी वर्ग की स्थिति**

बीकानेर संभाग में पुजारी वर्ग रियासतकाल के समय से सभी गांवों, कस्बों, शहरों में जहां पुराने मन्दिर, मठ, गुरुद्वारे हैं उनमें डोली भूमि हैं, इसके मालिक को राजस्व रिकॉर्ड में पुजारी, महंत, सेवादार उर्दू भाषा में खादिलदार, खड़मदार आदि नाम दर्ज है।

बीकानेर संभाग में श्री ठाकुरजी (कृष्णजी, रघुनाथजी, चारभुजा) के नाम से जो मन्दिर हैं, उनके पुजारी प्राय: स्वामी (वैरागी, वैष्णव, साध) ही हैं। 80 प्रतिशत स्वामी हैं। जिन गांवों में स्वामी नहीं वहां ब्राह्मण पुजारी हैं, यह सत्य है स्वामी समाज में लगभग 50% धनावंशी पुजारी हैं। बीकानेर संभाग में 36 कौम के पुजारी हैं जो डोली भूमि पर काश्त कर रहे हैं। लेकिन अधिकांश स्वामी (साध, वैरागी, वैष्णव) गोस्वामी (गिरी, पुरी भारती) ब्राह्मण, चारण, मेघवाल, नाई, खाती, कुम्हार, सिद्ध, विश्नोई कई जाट भी पुजारी हैं जो डोली भूमि पर काश्त कर रहे है। उदाहरण के तौर पर सरदारशहर के गांव व बिल्यूं की गोगामेड़ी में पुजारी जाट है वैसे सायद नागौर में भी है।

**डोली भूमि की स्थिति**

90 प्रतिशत डोली भूमि पर पुजारी वर्ग का ही कब्जा है। वे ही काश्त कर रहे है। 10 प्रतिशत भूमि लगभग ऐसी है जिसको या तो दबाव बनाकर खरीद लिया गया, कब्जा कर लिया, गांव ने ट्रस्ट बना दिया है या सरकार तथा देवस्थान विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है।

धनावंशी समाज की बात करें तो बीकानेर संभाग के हजारों परिवारों की जीवन रेखा ये डोली भूमि है। अगर डोली भूमि पर खातेदारी अधिकार पुन: मिल जाये तो बीकानेर संभाग के हजारों परिवार खुशहाल हो जायेंगे तथा हमेशा की सामाजिक प्रताड़ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर से मुक्त हो सकते है।

**डोली भूमि पर विभिन्न आदेश**

13/12/1999 के आदेश से जहां पुजारी काश्तकारों का नाम हटाया गया उसके बाद पुजारी

**जहां तक रास्ता दिख रहा है, वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा।**

महासभा के संघर्ष के बाद इसमें सुधार हेतु कई आदेश निकाले गये लेकिन सही ढंग से एक भी लागू नहीं किया गया।

राजस्थान सरकार राजसग्रुप (6) के आदेश वर्ष 24/5/2007, 25/11/2011, 12/9/2018, 11/6/2020 के द्वारा इस आदेश को मात्र उसमें भूल सुधार करने का आदेश दिया है तथा किसी आदेश में पुजारी को भूमि सुधार की सुविधा बिजली, पानी का कनेक्शन तथा फसल मुआवजा अनुदान सम्बन्धी सुविधा इस भूमि पर मिले। इस प्रकार के आदेश निकले लेकिन सरकार ने लागू नहीं किये है। सभी सरकारें आश्वासन देती हैं। नया आदेश निकालती है लेकिन पूर्ण रुप से खातेदारी का आदेश अभी तक नहीं दिया है।

डोली भूमि की समस्या राजस्थान की तरह कई अन्य राज्यों में है। म. प्र., हरियाणा, छत्तीसगढ़ आदि। म. प्र. के पुजारी वर्ग की स्थिति हमारे से दयनीय है। वहां के पुजारी लम्बे समय से संघर्ष करते आ रहे है।

हरियाणा सरकार ने पुजारी वर्ग के संघर्ष के आगे पुजारी हितों का ध्यान रखते हुए किसान हितेषी, पुजारी हितेषी आदेश लागू किया है।

हरियाणा में तत्कालीन राज्य सरकार ने मार्च 2011 में राज्यपाल द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी कर जो पुजारी 20 वर्षों से या अधिक समय से डोली भूमि पर काबिज है, उसको 500 रुपये प्रति एकड़ राजस्व प्राप्त खातेदारी अधिकार दे दिया गया है।

राजस्थान में 13/12/1991 के आदेश में राजस्व रिकॉर्ड में पुजारी का नाम हटाकर मन्दिर मूर्ति का नाम दर्ज करना था जो कर दिया लेकिन उस आदेश में यह भी था कि तहसील स्तर पर एक रजिस्टर्ड संधारण किया जाये कि 13/12/1991 आज के दिन इस जमीन मालिक कौन-कौन पुजारी काश्त कर रहा है तथा भविष्य नामान्तरण की तरह वंशानुसार नाम लिखे जाये लेकिन राज्य सरकार ने नाम हटाने का काम तो किया लेकिन पुजारी का नाम तहसील स्तर के रजिस्टर में संधारित करने का काम नहीं किया। आदेश में दोगला व्यवहार किया।

**राजस्व विभाग का व्यवहार -पुजारी वर्ग के खिलाफ**

एक गाँव की डोली भूमि जिसकी आधी भूमि पुजारी काश्त कर रहा है। उसको मन्दिर माफी जमीन, पुजारी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नहीं लिखा, आधी डोली भूमि जिसको जाट या अन्य जाति चाहे कोई हो पूजा नहीं करता, उसको उस डोली भूमि पर खातेदारी अधिकार दे दिया गया है।

एक उदाहरण चूरू की 7 तहसीलों में दो तहसील तारानगर, राजगढ़ जहां के किसान जागरुक थे। राजस्व अधिकारी पुजारी हितेषी थे। प्राय: डोली भूमि वर्षों पहले पुजारी को खातेदारी दे दी गई थी। राजस्थान का राजस्व विभाग एक तहसील मुख्यालय के हिसाब में राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने का तरीका अलग-अलग है, ऐसा क्यों हुआ ? यह पीड़ा है।

अखिल राजस्थान पुजारी महासभा द्वारा डोली भूमि में पुजारी काश्तकार का नाम दर्ज करने हेतु वर्ष 2006 में राजस्थान तथा बीकानेर संभाग में लगातार संघर्षरत है। जिसमें, बीकानेर तथा जोधपुर संभाग सबसे अग्रणी भूमिका में है। सर्वप्रथम, सरदारशहर तथा जोधपुर में पुजारी वर्ग की अलग-अलग बैठके वर्ष 2006 व वर्ष 2007 में हुई। उसके बाद दोनों की एक बैठक सरदारशहर तथा दूसरी बैठक जोधपुर में हुई, तब अखिल राजस्थान पुजारी महासभा सर्व धर्म पुजारी समाज समिति रजि संस्था के बैनर तले पुजारी वर्ग संघर्ष कर रहा है तहसील, जिला, संभाग, राज्य स्तर पर बैठके, रैली तथा सम्मेलन कर चुका है। कई बार राज्य सरकार से वार्ता कर चुके हैं।

राजस्थान उच्च न्यायालय में मुकदमें लड़ चुके हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में परिवाद दायर किया है। मुकदमा लम्बित है। आने वाले समय में अखिल राजस्थान पुजारी महासभा लम्बे संघर्ष का आह्वान करने वाली है।

●●●●●

**जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द दिल टूटने से नहीं बल्कि यकीन टूटने से होता है।**

# मन्दिर पुजारी कब तक अन्याय सहे...?

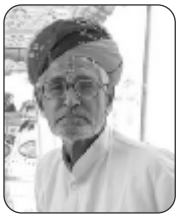

सीतारामदास परिव्राजक

भगवान न करे ऐसा अन्याय किसी के साथ हो– जैसा राजस्थान सरकार द्वारा डोळी भूमि रखनेवाले पुजारियों के साथ किया गया है। यह कौनसा कानून हुआ जो पूर्वजों द्वारा संचित व रक्षित रोजी रोटी व जीवनयापन का साधन ही किसी से छिन जाय। डोळी भूमि श्री ठाकुरजी महाराज के पुजारियों का बहुत पुराना हक था। डोळी भूमि का अर्थ होता है पुजारी परिवार को जीवनयापन के लिए राजाओं व जागीरदारों द्वारा लगान मुक्त काश्त भूमि के माध्यम से सुविधा प्रदान करना। जिसके आधारित पुजारी भगवान की पूजा जैसा मांगलिक कार्य गांव हित में व अपनी आस्था से जुड़ा हुआ करता रहे। उस पारिवारिक सत्ता के जमाने में भी श्री ठाकुरजी के पुजारियों को यह जमीनी स्वतंत्रता थी। आज सन 1991 बाद अगर कोई परतंत्र है तो सिर्फ और सिर्फ डोळी भूमि के मालिकाना हक से वंचित मन्दिर का पुजारी ही है। वह पुजारी न तो स्वतंत्रता से अपना मत प्रदान कर सकता है तथा न ही अपने जीवनयापन के साधन पर भरोसा रख सकता है। जिस काश्तकार का जिस जमीन पर मालिकाना हक है,उसे बहुत प्रकार के सरकारी लोन आदि लाभ प्राप्त कराए जाते हैं, तथा मालिकाना हक के चलते वह अपनी जमीन के बल पर भूमि काश्तकारी के हर प्रकार के साधन प्राप्त करने का अधिकारी होता है। पर पुजारी वर्ग के पास से डोळी भूमि नाम से पुकारी जाने वाली जमीन का मालिकाना हक सरकार द्वारा अमुक तिथि को हटा दिया जाने के कारण वह उन सभी सुविधाओं से वंचित है। जिस जमीन पर मालिकाना हक न होने के कारण वह उस जमीन पर ट्यूबवेल कैसे बना सकता है? जहां उसे बिजली कनेक्शन की मंजूरी नहीं मिलती। तो फिर वह उस जमीन की उपज कैसे प्राप्त कर सकता है। न उसे किसी प्रकार की अनुदान राशि सहायता रूप में प्राप्त होती। न उसकी कोई फसल बीमा स्वीकृत होती है तो फिर उसे अपने रख रखाव की क्या आशा रह गई। वोट की बात करें तो सब को अपनी–अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने का स्वत: सिद्ध अधिकार है। हर पार्टी पुजारी पर आन्तरिक दबाव बनाती है कि हमें वोट नहीं दिया तो हम आपको पुजारीपना से हटा देंगे। और होता भी वही है। वोट किसी और पार्टी को दे दिया होता है और जीत कोई और पार्टी जाती है। फिर पुजारी पर पूजा अच्छी प्रकार न करने का आरोप लगता है और उसे पुजारीपना से हटा दिया जाता है, तब उसका डोळी भूमि से अधिकार स्वत: हट जाता है। कोई बहुत ही लाचारी करने के बाद अगर पुजारी रूप में मौजूद रहता है तो उसे बहुत ही प्रताड़ित व अपमानित होकर ही समय गुजारना पड़ता है। यह मेरा आंखों देखा हाल है। इस डोळी भूमि मुद्दे को कानून का नाम न देकर उस सरकार द्वारा पुजारियों पर कुठाराघात ही कहा जा सकता है।

**ढ़ल जाती है हर चीज अपने वक्त पर बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता।**

आलेख

# घोर विसंगतियों की शिकार है डोळी भूमि

राधेश्याम गोदारा
धनावंशी

**आज की तारीख में पुजारियों के पास उस जमीन का कोई कानूनी हक नहीं होने के कारण न तो पुजारी बिजली कनेक्शन ले सकते हैं, न उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा मिल सकता है, न उन्हें भूमि का मुआवजा मिलताहै। यहां तक कि सरकार जब भूमि अधिग्रहण करती है तो उसका मुआवजा भी देवस्थान विभाग में जमा होता है न कि पुजारी को मिलता है।**

देव– मंदिर डोली भूमि समाज के लिए एक नासूर बनती बड़ी विकट समस्या है। यह समस्या न केवल धनावंशी स्वामी समाज बल्कि मंदिर पूजा से जुड़े हुए विभिन्न समाज यथा ब्राह्मण, अन्य स्वामी समाज, गोस्वामी समाज, रामदेव जी के पुजारी मेघवाल एवं राजपूत समाज के जी का जंजाल बन चुकी है। यह समस्या देश आजाद होने के बाद जब जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1955 लागू हुआ, उसी समय से इसने अपनी जड़ें जमा ली थी, लेकिन अज्ञानतावश हमें इसकी जानकारी नहीं मिली।

डोली भूमि है क्या? देश आजाद होने से पहले जागीरदारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की बेगारी प्रथा का कार्य करने वाले वर्गों को माफी के रूप में जमीन प्रदान की जाती थी, जिसे डोली नाम से जाना जाता था। दूसरे, मंदिर की पूजा करने वाले पुजारी को भी पूजा के एवज में माफी की जमीन दी जाती थी, जिसे मंदिर डोली के नाम से जाना जाता था। देश आजाद होने के बाद जब जागीरी पुनर्गठन अधिनियम एवं टेनेंसी एक्ट 1955 लागू हुआ तो उस अधिनियम के तहत जो व्यक्ति जिस जमीन पर काश्त करता था, उसे काश्तकार मानते हुए पट्टा प्रदान कर दिया गया। इसी अधिनियम की पालना में सामान्य काश्तकारों के समान अन्य डोलीदारों एवं देव मंदिर के पुजारियों को भी तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने पुजारियों को काश्तकार मानते हुए उन्हें भी 1962 से लेकर 1964 के बीच में पट्टे जारी कर दिए। पुजारियों को जिस देव मंदिर जमीन पर पट्टे दिए गए थे उस जमीन की खतौनी में 1955 से पहले मंदिर और पुजारी दोनों का नाम सम्मिलित रूप से दर्ज होता था। एवं उस खतौनी में अधिकांश जगह काश्तकार की जगह पुजारी का नाम न होकर खुदकाश्त लिखा गया था। यह खुदकाश्त लिखा होना हमारे लिए सबसे बड़ा दुखदाई हो गया। क्योंकि कानून ने खुदकाश्त की व्याख्या यह की है कि खुदकाश्त का मतलब मूर्ति के द्वारा काश्त करना या करवाना। इसलिए न्यायपालिका भी हमें मंदिर की जमीन पर कब्जा करने वाला अनाधिकृत भूमाफिया

**दुनिया में जीव जंतु, जीवित, नश्वर, आप और मैं, हम सभी हैं, परंतु इनमें जो भी मन, भाव से करीब हो, वो ही अपना है।**

मान रही है। क्योंकि अन्य जो माफी की जमीन के डोलीदार थे, उनकी जमीन में खुदकाश्त की जगह उस काश्तकार का नाम अंकित था। इसलिए इन डोलीदारों की जमीन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। कानूनन रूप से टेनेंसी एक्ट 1955 में स्पष्ट प्रावधान था कि देव मूर्ति शाश्वत नाबालिग है और नाबालिग की संपत्ति किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं की जा सकती, फिर भी तत्कालीन राजस्व अधिकारियों द्वारा सरकार के निर्देशों की पालना में बिघोड़ी वसूल करने के लिए मंदिर का नाम हटाकर पुजारी को खातेदार बना दिया गया था,जो कि वास्तविक रुप से काश्तकार पुजारियों का कानूनी हक भी था। लेकिन बाद में (13 दिसंबर 1991 के बाद)इस कानून की सरकार एवं न्यायपालिका द्वारा गलत व्याख्या की गई और पुजारियों को मंदिर की जमीन का अतिक्रमी माना गया। (सरकार ने अपने परिपत्रों में एवं न्यायपालिका में यह हलफनामा भी दिया है कि मंदिर के पुजारियों ने अनाधिकृत रूप से राजस्व अधिकारियों से मिलकर मंदिर की जमीन अपने नाम करा ली जो कि सरासर मनगढ़ंत आरोप है)।इसी कानून के तहत बड़े-बड़े मंदिरों के मठाधीश जिनके पास हजारों बीघा जमीन थी एवं उस जमीन पर अन्य लोगों ने कब्जा कर लिया था और कब्जे के आधार पर उन्हें भी पट्टा मिल गया था। जब इन बड़े पुजारियों को इस कानून की जानकारी हुई तो इन्होंने मंदिर की जमीन वापस प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार से गुजारिश की कि मंदिरों की जमीन खुर्द बुर्द हो गई है तथा जमीन पर अन्य लोगों ने कब्जा कर लिया है इस कब्जे को हटाकर टेनेंसी एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप पट्टा निरस्त करके जमीन वापस मंदिर के नाम की जावे। सरकार ने ऐसे पत्रों का परीक्षण करवाया और परीक्षण उपरांत तत्कालीन भैरोंसिंह सरकार ने 13 दिसंबर 1991 को एक परिपत्र जारी किया उस परिपत्र में यह स्पष्ट निर्देश प्रदान किया कि मंदिर की जमीन पर किसी का हक नहीं हो सकता और जिस किसी व्यक्ति ने मंदिर की जमीन अपने नाम करवा ली है, उसका नाम हटाकर जमीन वापस मूर्ति के नाम की जावे एवं उस जमीन की देखरेख के लिए तहसील स्तर पर तहसीलदार की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जावे। साथ ही मंदिरों की जमीन गांव और कस्बों के आसपास थी, जो समय के अनुसार बेशकीमती होती गई और भूमाफिया तथा दूसरे लोगों की नजर उस जमीन पर पड़ी। ऐसे भूमाफिया एवं पुजारियों से ईर्ष्या रखने वाले लोगों ने इस परिपत्र एवं कानून की आड़ में जगह-जगह मंदिरों की जमीन के विरुद्ध रेफरेंस करने शुरू कर दिए और मंदिर की जमीन में से पुजारी का नाम हटाकर केवल मूर्ति का नाम रखने के आदेश जारी होने लगे। जिसके कारण गांव-गांव में पुजारियों को मंदिर से बेदखल करने की गांव वालों एवं सक्षम जातियों द्वारा धमकियां मिलनी शुरू हो गई और बहुत सी जगह तो दबंग जातियों ने पुजारियों को मंदिर से बेदखल करके दूसरा मनमाफिक पुजारी भी रख लिया। आज की स्थिति में भी 13 दिसंबर 1991 के सर्कुलर के अनुरूप राजस्व अधिकारियों ने पुजारियों की जमीन में से पुजारी का नाम या तो हटा दिया गया या उसके आगे नोट लगा दिया गया है। इस कारण आज की तारीख में पुजारियों के पास उस जमीन का कोई कानूनी हक नहीं होने के कारण न तो पुजारी बिजली कनेक्शन ले सकते हैं, न उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा मिल सकता है, न उन्हें भूमि का मुआवजा मिलता है। यहां तक कि सरकार जब भूमि अधिग्रहण करती है तो उसका मुआवजा भी देवस्थान विभाग में जमा होता है न कि पुजारी को मिलता है। इसलिए जब तक पुजारियों के हक में टेनेंसी एक्ट में संशोधन करके सरकार कानून नहीं बनाती तब तक पुजारियों को पूर्ण खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकता और जब तक पुजारियों को मिला हुआ खातेदारी अधिकार वापस नहीं मिलता तब तक धनावंशी स्वामी समाज कि 80 फ़ीसदी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमिहीन हो गई है। इसलिए धनावंशी स्वामी समाज के पुजारियों को जमीन का मालिकाना हक जो मिला हुआ है उसको बरकरार रखने के लिए राजनीतिक रूप से एकता का परिचय देते हुए सक्रियता दिखानी होगी अन्यथा आने वाला भविष्य जमीन के लिहाज से हमारे समाज के लिए बहुत अंधकार में होगा।

**किसी की भावनाओं के साथ प्रयोग मत कीजिए, वो उनका जीवन है, आपकी प्रयोगशाला नहीं।**

आलेख

# मन्दिर माफ़ी भूमि पुजारियों की गलफाँस

शिवलाल स्वामी
दौलतपुरा

भारत देश की आजादी से पूर्व देशी रियासतें राजे रजवाड़ों के समय भू स्वामित्व केवल जागीरदारों राजदारों को ही प्राप्त था। उस समय के संपन्न एवं प्रभुत्व संपन्न राजा महाराजाओं ने हिन्दू धर्म के पूजा, आस्था और उपासना स्थलों– मंदिरों का निर्माण कराया। मन्दिर मूर्ति पूजा भोग तथा सेवा पूजा करने वाले पुजारियों–धर्माधिकारी महंतों के गुजारे के लिए नियमित आय का बन्दोबस्त किया गया।

ब्राह्मणजन ग्रंथों के प्रभाव से दान पुण्य की ओर समय–समय पर हाथ बढ़ाते रहते थे। इसी क्रम में उन्होंने मंदिरों की व्यवस्था के लिए पुजारियों के भरण– पोषण हेतु दान स्वरुप उनको अपनी भूमि में से कुछ भूमि का दान ताम्रपत्र या उस जमाने का अधिकार पत्र मंदिरों के पुजारियों के नाम कर दिया करते थे।

15 अगस्त सन 1947 को देश की आजादी के बाद गणतन्त्रात्मक शासन घोषित होने से एक्ट 1952 के तहत मंदिर, मूर्ति या भगवान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि को डोली भूमि/मन्दिर माफ़ी भूमि कहा जाता है। मंदिर के पुजारी या उस जमीन के रखरखाव करने वाले व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए उस जमीन पर खेती का

**सच्चे रिश्ते वो नहीं जो ख़ाली समय में आपको याद करे, सच्चे रिश्ते वो है,
जो व्यस्त समय में भी वक़्त निकालकर आपको याद करे।**

अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन वह जमीन का स्वामित्व मंदिर भगवान या ठाकुरजी के नाम ही रहता है।

प्रदेश के मंदिरों में पूजा करने वाले पुजारियों, वैष्णव/स्वामी /महंत / पुजारियों को सरकार ने डोली (मंदिर की जमीन) का फिर संरक्षक बना दिया। जमाबंदी में पुजारी का नाम नहीं जुड़ेगा, लेकिन जमाबंदी के साथ संरक्षक पुजारी का प्रपत्र हर ठाकुरजी मंदिर की जमाबंदी के साथ संलग्न रहेगा, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी नामांतरित होगा।

राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अंतर्गत खातेदारी वाले पुजारियों के नाम अगर जमाबंदी से हट गए है, तो दोबारा जमाबंदी में दर्ज कर खातेदारी दी जा सकेगी। 13 दिसंबर 1991, 24 मई 2007 व 25 नवंबर 2011 को जारी परिपत्र के तहत खातेदारी मिल सकेगी। तदनंतर वृहदपीठ ने डोली जमीन संबंधी उठाए कानूनी बिंदुओं का विस्तृत जवाब दिया। कहा, जागीरदारी प्रथा समाप्त होने के बाद जागीर एक्ट-1952 के तहत मंदिरों की डोली जमीन, जिसे डोलीदार, माफीदार काश्त करते हो या मंदिरों के सेवादार या पुजारी काश्त करते हों तो उनको बतौर खातेदार कोई अधिकार नहीं मिल जाता है कि वे उसे अपनी खातेदारी जमीन मानकर उसका हस्तांतरण करे। खंडपीठ ने सभी बेचान व हस्तांतरण अवैध करार देते उसे सरकार के अधीन माना।

मामला कोर्ट-कचहरी पहुँचा-14 वर्ष चले मामले में कोर्ट ने व्यवस्था दी कि डोली जमीन, जो सेवादारों व पुजारियों के नाम है या वे काश्त करते हैं, को जागीर एक्ट-1952 के लागू होने के बाद उनका कोई अधिकार नहीं है। उन्हें केवल मंदिर की सेवा-पूजा व रखरखाव के लिए कर्मचारी मात्र माना है। कोर्ट ने जागीरदारी प्रथा समाप्त होने पर मंदिरों की डोली की जमीन सेवादार व पुजारियों के नाम खातेदारी होने मात्र से उनका स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं माना । कहा,जागीर एक्ट उन्हें किसी भूमि का स्वामित्व प्रदान नहीं करता है। कोई व्यक्ति किसी जमीनों पर लंबे समय से कब्जे व काश्त करने से उसका स्वामित्व नहीं प्राप्त कर सकता है। न ही लंबे कब्जे से उसका स्वामी बन जाएगा।

कानूनी जकडऩ के चलते आज मंदिर सेवादारों पुजारियों की हालत पस्त हो गई है। मन्दिर भूमियों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। अत्याचार चरम पर पहुंच गए हैं। पुजारियों की हत्याएँ हो रही हैं। परिवारों को दो जून की रोटी के लिए दर दर की ठोकरे खाने को मिल रही हैं।

मेरे विचार से आज की परिस्थिति में हमारे विविध पुजारी संगठनों को चाहिए कि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं , सरकार को सुझाएं कि मंदिर माफी की भूमि पुजारियों/सेवादारों के नाम हो। कदाचित सरकार चाहे तो अनुचित बेचान का अधिकार पुजारी के हाथ में चाहे नहीं दे। तो मन्दिर माफ़ी की जमीने बची रहेंगी और अवैध कब्जे की भेंट से भी बची रहेंगी तथा पुजारी परिवार को उस भूमि से मिलने वाले सारे लाभ भी मिलते रहेंगे। आज के परिवेश में भू स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें राजनीतिक दबाव विधायकों और विधान सभा तक अपनी आवाज पुरजोर तरीके से पहुंचानी होगी तब ही कुछ बदलाव संभव है। अर्थात इस वर्ग को सरकारी नुमाइंदों तक यह बात पुरजोर तरीके से पेश की जाए तो इस वर्ग का कुछ भला हो सकता है।

●●●●●

**प्रशंसा और प्रणाम ये दो मोहिनी मंत्र हैं, अच्छे- अच्छे लोग इससे काबू में आ जाते हैं।**

# डोळी भूमि क्या है..?

• श्रवणकुमार स्वामी
खिंयाला

सिर्फ इस भूमि से जागीरदारा लगान नहीं लेते थे, जबकि सरकार ने पुजारी वर्ग से विक्रम संवत 2011 से 2040 तक लगान लिया। इसके बावजूद भी इस गृहस्थ किसान पुजारी वर्ग के नाम को विलोपित कर उसके साथ पक्षपात किया जा रहा है। जबकि जागीरदार पुजारियों को पूजनीय मानते थे। उनका सम्मान करते थे,जमीन से लगान नही लेते थे। इसलिए यह जमीन मंदिर माफी की भूमि कहलाती है। मन्दिर बनाने वालों ने इसे खरीद कर मन्दिर को दान में दी,ऐसा कोई शिलालेख नहीं है। माफी जमीन तो कुम्हार, नाई, दर्जी, सुथार, लुहार, राव आदि कामगारों के पास भी थी। उनसे भी जागीरदार लगान नहीं लेते थे। हम किसान पुजारी वर्ग एवं उपर्युक्त वर्णित अन्य जातियों के पास माफी की जमीन तो एक जैसी थी। एक को खातेदारी अधिकार मिल गये व दूसरों को नहीं मिले। इस प्रकार गृहस्थ किसान पुजारियों के साथ घोर अन्याय हुआ। पुजारियों को बिना नोटिस दिये बिना सुनवाई के खातेदारी से नाम हटा दिये गये। राजस्थान के प्रत्येक गांव में डोली भूमि सैकड़ों वर्षों से है। पर कई गांवो में तो मन्दिर ही नहीं है और कई गांवो में मन्दिर बाद में बने तो मन्दिर की कैसे हुई?

पुजारियों का डोली भूमि पर सैकडों वर्षो से कब्जा है। बंजर पड़ी डोली भूमि का विकास गृहस्थ किसान पुजारियों ने अपनी मेहनत से किया है, कई जगह कुएं खोदकर सिंचाई का साधन तैयार कर उपयोगी बनाया है। विद्युत पम्प लगाये हैं, जिसके बिलों का भुगतान कर फसलों की पैदावार कर रहे हैं।

बंजर पड़ी डोली भूमि का विकास गृहस्थ किसान पुजारियों ने अपनी मेहनत से किया है, कई जगह कुएं खोदकर सिंचाई का साधन तैयार कर उपयोगी बनाया है।

इसके बावजूद उपर्युक्त भूमि भगवान के नाम होने से बैंक ऋण या राज्य सरकार से मिलने वाला अनुदान भी प्राप्त नहीं हो रहा है। सरकारी समिति द्वारा अनुदानित खाद बीज, कृषि यंत्र भी नही मिल रहे हैं। फसल बीमा लाभ, गृहस्थ किसान पुजारियों को अनुदान व सब्सीडी नहीं मिल रही है।

वर्तमान समय में पुजारी वर्ग के लोग न ही राजकीय सेवा में तथा न ही व्यापार-उद्योग से जुड़े हुए हैं अपितु पिछले सैकड़ों वर्षों से यह वर्ग मंदिरों में सेवा- पूजा पाठ तथा डोली भूमि पर काश्त कर अपने परिवार का भरण पोषण करता आया है। डोली भूमि के अलावा पुजारी वर्ग के पास खेती करने के लिए दूजी भूमि नही है। पुजारी वर्ग के पास रोजगार का अन्य कोई साधन भी नहीं है। ऐसे में पुजारी कहां जाए?

**परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का राज है,**
**एक दूसरे के विचारों को धैर्य से सुनना, समझना और सम्मान देना।**

# खून के आँसू रो रहा है पुजारी

**कहने को तो सरकार यह कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि हम क्या करें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कानून सुप्रीम कोर्ट बनाता है या सरकार बनाती है। कानून सरकार बनाती है सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सरकार के बनाए हुए कानून की पालना करती है।**

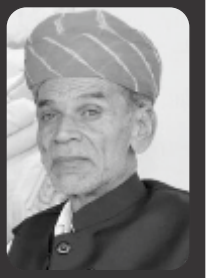

प्रेमदास स्वामी
खिंयाला

राजस्थान में धनावंशी स्वामी समाज लगभग 90 प्रतिशत डोली भूमि से पीड़ित है, उनमें मैं भी सम्मिलित हूं। क्योंकि धनावंशी स्वामी समाज का जीवन अधिकतर कृषि पर आधारित है और 90 प्रतिशत समाज गांव में रहता है।

डोली भूमि आंदोलन में धनावंशी स्वामी समाज की अहम भूमिका रही है। भू माफियाओं का डर सभी को सता रहा है। आज नहीं तो आने वाले दिनों में हजारों बाबूलालजी वैष्णव जैसे पुजारी जिंदा जला दिए जाएंगे और हम मूकदर्शक बनकर आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगें्।

भूमि बंटवारे को लेकर भाई बंटवारे की समस्या खत्म हो गई है, क्योंकि जब भूमि हमारे नाम है ही नहीं तो बटवारा किस चीज का?

गांवों में जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। समय पर दोनों टाइम पुजारी पूजा करता है, फिर अपने खेत का काम करता है। क्योंकि काम किए बगैर खाएगा क्या? पूजा से तो पेट भरता नहीं्। गांव के मंदिरों में पांच पैसे का चढ़ावा तो आता नहीं है। दीया बत्ती भी घर से करना पड़ता है।

भारतीय जनता पार्टी के राज में स्वर्गीय भैरोंसिंहजी शेखावत सरकार ने एक आदेश से राजस्थान के संपूर्ण पुजारी समाज को भूमिहीन कर दिया।

गरीब डोलीदार पुजारी खून के आंसू रो रहा है। पर उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। बहुत लंबे समय से आंदोलन चल रहा है पर पुजारी समाज संगठित नहीं होने की वजह से हमें हर बार शर्मनाक पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है।

सरकार चाहे किसी की हो सरकार कभी किसी को कुछ नहीं देती। मजबूत व संगठित समाज अपने हक अधिकार प्राप्त कर लेते हैं्। सौ बात की एक बात। पुजारी समाज संगठित नहीं है, बस एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में मस्त हैं। कई बार जयपुर में धरना प्रदर्शन भी हुआ पर मुझे यह कहते हुए शर्म आ रही है कि पूरे राजस्थान पुजारी समाज से 5000 से ज्यादा संख्या कभी नहीं हुई। और हम संख्या बल दिखाने में नाकाम रहे।

दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। कहने को तो सरकार यह कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि हम क्या करें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कानून सुप्रीम कोर्ट बनाता है या सरकार बनाती है। कानून सरकार बनाती है सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सरकार के बनाए हुए कानून की पालना करती है। संवत 2015 में सेटलमेंट के तहत सभी को पट्टा जारी किए गए उस समय पुजारियों को भी डोली भूमि पर पट्टे जारी कर दिए गए थे। 50 साल बाद सरकार जागती है और आदेश पारित करते हैं कि पुजारियों ने मंदिर माफी भूमि पर अतिक्रमण किया है।

**नाराज़गी से भी एक खूबसूरत रिश्ता है, जिससे होती है,
वह व्यक्ति दिल और दिमाग दोनों में रहता है।**

अत: उनके नाम विलोपित करके वापस देव मूर्ति के नाम जमीन कर दी जाए। मूर्ति नाबालिग और नाबालिग की संपत्ति ट्रांसफर नहीं की जा सकती। परमपिता परमेश्वर भगवान की मूर्ति नाबालिग है यानी जो सब के पिता हैं वह नाबालिग है जो कभी बालिग नहीं हो सकता और हिंदुस्तान के कानून में हिंदू धर्म रक्षक पुजारी को नौकर से परिभाषित किया है। यानी पुजारी को एक नौकर की तरह रखा जाता है और हटाया भी जा सकता है। एक कुचक्र के तहत संपूर्ण पुजारी समाज को भूमिहीन कर दिया गया। और पुजारी समाज आज तक मौन है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अलग-अलग आवाज आ रही है। पता नहीं हमारे समाज को हो क्या गया है। और समाज के जो सरकारी पदों पर बड़े बड़े अफसर हैं। उन्हें डोली भूमि से कोई लेना-देना ही नहीं उन्हें यह भी नहीं पता कि डोली भूमि क्या है।

धनिष्ठासंज्ञा स्त्री. सं. सत्ताईस नक्षत्रों में से तेईसवाँ नक्षत्र जो 9 ऊर्ध्वमुख नक्षत्रों में से है और जिसमें पाँच तारे संयुक्त हैं । इसके अधिपति देवता वसु हैं और इसकी आकृति मृदंग की सी है । फलित ज्योतिष के अनुसार धनिष्ठा नक्षत्र में जिसका जन्म हो वह दीर्घकाय, कामातुर, कफयुक्त, उत्तम शास्त्रवेत्ता और कीर्त्तिमान् होता है । पर्या0-श्रविष्ठा । वसुदेवता । भूति । निधान । धनवती । विशेष- दे0 'नक्षत्र' ।

(गूगल से उद्धृत ) 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक सारे नक्षत्रों का नामकरण इस प्रकार किया गया है- अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। 28वां नक्षत्र अभिजीत है।

धनिष्ठा' का अर्थ होता है 'सबसे धनवान'। वैदिक ज्योतिष की गणनाओं के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले 27 नक्षत्रों में से धनिष्ठा को 23वां नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र का स्वामी मंगल और देवता वसु हैं।

धनिष्ठा नक्षत्र :इस नक्षत्र का स्वामी मंगल है, वहीं राशि स्वामी शनि है। धनिष्ठा नक्षत्र के पहले दो चरणों में उत्पन्न जातक की जन्म राशि मकर, राशि स्वामी शनि, अंतिम दो चरणों में जन्म होने पर राशि कुंभ तथा राशि स्वामी शनि, वर्ण शूद्र, वश्य जलचर और नर यानी सिंह, महावैर योनि गज, गण राक्षस तथा नाड़ी मध्य है।

धनिष्ठा में जन्मे जातक पर जीवनभर मंगल और शनि का प्रभाव रहता है। नक्षत्र स्त्रैण है, लेकिन मंगल ग्रह की ऊर्जा इस नक्षत्र में अपने चरमोत्कर्ष को छूती है इसीलिए यह उच्च का मंगल भी कहा जाता है।

प्रतीक : ड्रम, बांसुरी, ढोल या मृदंग, देवता : वासु, वृक्ष : शमी, रंग : हल्का ग्रे, अक्षर : गू, गे, ज, नक्षत्र स्वामी : मंगल, राशि स्वामी : शनि, शारीरिक गठन : प्राय: इस नक्षत्र के लोग दुबले शरीर वाले होते हैं। सकारात्मक पक्ष :इस नक्षत्र में जन्मे लोग बहुमुखी प्रतिभा और बुद्धि के धनी होते हैं। ये कई-कई क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल किए हुए होते हैं। ये सामरिक योजनाकार, अच्छे शिक्षाविद और अच्छे व्यवस्थापक भी होते हैं। इनमें जमा करने और संसाधनों को इकट्ठा करने की शक्ति निहित होती है।

नकारात्मक पक्ष :धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक का मंगल यदि खराब है तो जातक अधिकतर अभिमानी, अड़ियल तथा जिद्दी स्वभाव का हो जाएगा। इसी स्वभाव के कारण अनेक तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। मंगल का शुभ प्रभाव खत्म हो जाता है।

**नकारात्मका एक भयानक बीमारी है, जो जिंदा इंसान को भी मुर्दा बना देती है।**

# डोली भूमि

कप्तान से.नि.
रघुनाथप्रसाद स्वामी
डीडवाना (नागौर)

आदि काल से मन्दिरों में ठाकुर जी की पूजा का जिम्मा स्वामियों का था। इनमें सभी स्वामी है जैसे- धनावंशी, रांकावत, गिरी, पुरी, भारती आदि। इन मंदिरो के पिछे रियासतो, राजा-रजवाड़ो ने पुजारियों को जीविकोपार्जन के लिए कास्त करने फलस्वरूप जमीनें दी हुई थी।

जब 1952 के एक्ट के तहत इस भूमि को राजस्व रिकार्ड में मन्दिर डोली भूमि के नाम से इन्द्राज किया गया था। इसको डोली भूमि कहते हैं। डोली भूमि पर काश्त करने वाले पुजारियों में धनावंशी स्वामी, साद, बेरागी आदि की संख्या सबसे ज्यादा है। विशेषतौर पर किसान कार्य में यही अधिक हुनर प्राप्त हैं।

1952 के पश्चात सरकार ने कृषि भूमि पर काश्तकार से लगान रूप में बिगेड़ी लेना आरम्भ कर दिया था। ये कार्य पटवारीयों/ गिरदावरों द्वारा जुलाई-अगस्त में किया जाता था। मन्दिर भूमि (डोली) पर बिगड़ी माफ थी। फिर 1963-64 में पेमाईश हुई और जो जिस भूमि पर कृषि करता था उन किसानों के नाम/पुजारियो के नाम से सरकार ने 1965 में पट्टे जारी कर दिये। इस प्रकार ये सिलसला चलता रहा। कई बड़े-बड़े मठो मंदिरों के पीछे जमीनें ज्यादा होने पर और समय परिवर्तन के कारण इन जमीनों पर जुताई का काम दूसरे किसानो द्वारा होने लगा। इससे दूसरे किसानो ने उक्त जमीनो पर कब्जा कर लिया। केस कोर्टो में पहुंचे तब सरकार के ध्यान में आया। 13 दिसम्बर 1991 में तत्कालीन मुख्यमन्त्री माननीय स्व. श्री भैरोसिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश पारित किया कि मन्दिर डोली भूमि ठाकुरजी के नाम से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज की जाये। इस प्रकार मालिकाना/स्वामित्व हक पुजारियों का नहीं रहा और पुजारी केवल काश्त कर सकते हैं। उक्त जमीनें ट्रांसफर नहीं हो सकती है। इन जमीनों की देख रेख सरकार के अधीन रहेगी।

इस प्रकार कुछ समय तक तो पुजारियों ने ध्यान नहीं दिया। जब राजस्व विभाग से नोटिस आने लगे और पुजारियो मामले को रेवेन्यू कोर्ट में दायर किया, तब कोर्ट ने आदेश दिया कि डोली भूमि सरकार के अधीन है। पुजारी केवल गार्जीयन है। तब कांग्रेस सरकार थी और पुजारियो की नहीं सुनी।

2014 में चुनाव आये तब पुजारियों ने क्षेत्रीय विधायकों को जो भारतीय जनता पार्टी बेनर तले थे उनके ये बात ध्यान में लायी गयी। तब भावी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने पुजारियों को आश्वासन दिया था, कि मेरी सरकार आने पर डोली भूमि को फिर से पुजारियों के नाम कर दी जायेगी। किंतु ढ़ाक के तीन पात वाली कहावत ही हुई और वसुन्धरा सरकार आते ही केस हाई कोर्ट ले गयी और हाई कोर्ट में जोधपुर की वृहद पीठ ने आदेश पुजारियों के खिलाफ सुनाते हुए कहा कि उक्त भूमि माइनर (ठाकुर जी) की है। इसलिए हस्तान्तरण नहीं होगी तथा ना ही पुजारियों के नाम होगी। इस भूमि की खरीद-बेचान नहीं हो सकता। पुजारी केवल जुताई कर सकते हैं। डोली भूमि सरकार के अधीन रहेगी। अभी केस सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

●●●●●

**आपकी वो हर कामयाबी आपकी हार होती है, जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना है।**

आलेख

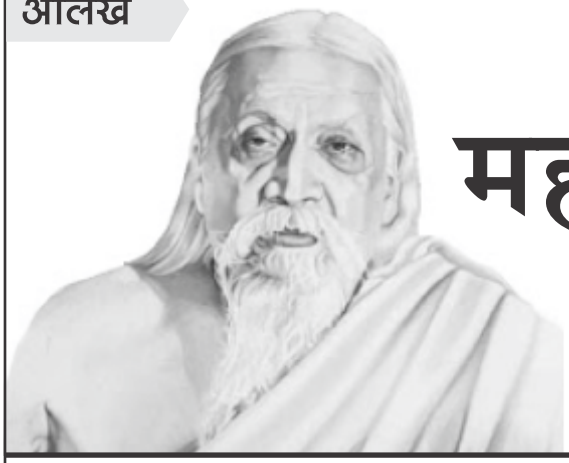

# महर्षि अरविन्द का शिक्षा दर्शन धार्मिक पंथ के लिए आवश्यक

श्री अरविन्द ने भारतीय शिक्षा चिन्तन में महत्त्वपूर्ण योगदान किया। उन्होंने सर्वप्रथम घोषणा की कि मानव सांसारिक जीवन में भी दैवी शक्ति प्राप्त कर सकता है। वे मानते थे कि मानव भौतिक जीवन व्यतीत करते हुए तथा अन्य मानवों की सेवा करते हुए अपने मानस को अति मानस तथा स्वयं को अति मानव में परिवर्तित कर सकता है। शिक्षा द्वारा यह संभव है।

आज की परिस्थितियों में जब हम अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं परम्परा को भूल कर भौतिकवादी सभ्यता का अंधानुकरण कर रहे हैं, अरविन्द का शिक्षा दर्शन हमें सही दिशा का निर्देश करता हैं। आज धार्मिक एवं अध्यात्मिक जागृति की नितान्त आवश्यकता है। श्री वी आर तनेजा के शब्दों में–

श्री अरविन्द का शिक्षा–दर्शन लक्ष्य की दृष्टि से आदर्शवादी, उपागम की दृष्टि से यथार्थवादी, क्रिया की दृष्टि से प्रयोजनवादी तथा महत्त्वाकांक्षा की दृष्टि से मानवतावादी है। हमें इस दृष्टिकोण को शिक्षा में अपनाना चाहिए।

अनुक्रम

1 शैक्षिक प्रयोग
2 योग एवं दर्शन की अभिरुचि
3 श्री अरविन्द का शैक्षिक दर्शन
3.1 अरविन्द की दार्शनिक विचारधारा
4 वर्तमान शिक्षा–पद्धति से असन्तोष
5 शिक्षा के लक्ष्य
6 पाठ्यक्रम
7 नैतिक शिक्षा
8 शिक्षण–विधि तथा शिक्षक

## शैक्षिक प्रयोग

राष्ट्रीय आन्दोलन में लगे हुए विद्यार्थियों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु कलकत्ता में एक राष्ट्रीय महाविद्यालय स्थापित किया गया। श्री अरविन्द को 150 रु प्रति माह के वेतन पर इस कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए श्री अरविन्द ने राष्ट्रीय शिक्षा की संकल्पना का विकास किया तथा अपने शिक्षा–दर्शन की आधारशिला रखी। यही कॉलेज आगे चलकर जादवपुर विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। प्रधानाचार्य का कार्य करते हुए श्री अरविन्द अपने लेखन तथा भाषणों द्वारा देशवासियों को प्रेरणा देते हुए राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेते रहे।

1908 ई में राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के कारण श्री अरविन्द गिरफ्तार हुए व जेल में रहे। उन पर मुकदमा चलाया गया तथा अदालत में दैवयोग से उनके मुकदमे की सुनवाई सैशन जज सी पी बीचक्राफ्ट ने की जो अरविन्द के सहपाठी रह चुके थे तथा अरविन्द की कुशाग्र बुद्धि से प्रभावित थे। अरविन्द के वकील चितरंजन दास ने जज बीचक्राफ्ट से कहा– जब आप

**जिंदगी हमेशा हल्की महसूस होगी, अगर दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर भरोसा ज्यादा करो तो।**

अरविन्द की बुद्धि से प्रभावित हैं तो यह कैसे संभव है कि अरविन्द किसी षडयन्त्र से भाग ले सकते हैं? बीच क्राफ्ट ने अरविन्द को जेल से मुक्त कर दिया।

## योग एवं दर्शन की अभिरुचि

जेल की अवधि में श्री अरविन्द ने आध्यात्मिक साधना की तथा उन्हें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके पूर्व वे 1907 ई में जब बड़ौदा में थे तो एक प्रसिद्ध योगी विष्णु भास्कर लेले के संपर्क में आये और योग–साधना में प्रवृत्त हुए। जेल से मुक्त होकर वे 4 अप्रैल 1910 को पांडिचेरी चले गये और उन्होंने अपना जीवन अनन्त सत्य की खोज में लगा दिया। सतत् साधना द्वारा उन्होंने अपनी आध्यामिक दार्शनिक विचारधारा का विकास किया।

## श्री अरविन्द का शैक्षिक दर्शन

## अरविन्द की दार्शनिक विचारधारा

श्री अरविन्द के दार्शन का लक्ष्य उदात्त सत्य का ज्ञानहै जो समग्र जीवन–दृष्टि द्वारा प्राप्त होता है। समग्र जीवन–दृष्टि मानव के ब्रह्म में लीन या एकाकार होने पर विकसित होती है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण द्वारा मानव अति मानव बन जाता है अर्थात् वह सत, रज व तम की प्रवृत्ति से ऊपर उठकर ज्ञानी बन जाता है। अतिमानव की स्थिति में व्यक्ति सभी प्राणियों को अपना ही रूप समझता है। जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक दृष्टि से एकाकार हो जाता है तो उसमें दैवी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है।

समग्र जीवन–दृष्टि हेतु अरविन्द ने योगाभ्यास पर अधिक बल दिया है। योग द्वारा मानसिक शांति एवं संतोष प्राप्त होता है। अरविन्द की दृष्टि में योग का अर्थ जीवन को त्यागना नहीं है बल्कि दैवी शक्ति पर विश्वास रखते हुए जीवन की समस्याओं एवं चुनौतियों का साहस से सामना करना है। अरविन्द की दृष्टि में योग कठिन आसन व प्राणायाम का अभ्यास करना भी नहीं है बल्कि ईश्वर के प्रति निष्काम भाव से आत्म समर्पण करना तथा मानसिक शिक्षा द्वारा स्वयं को दैवी स्वरूप में परिणित करना है।

अरविन्द ने मस्तिष्क की धारणा स्पष्ट करते हुए कहा है कि मस्तिष्क के विचार–स्तर चित्त, मनस, बुद्धि तथा अन्तर्ज्ञान होते हैं जिनका क्रमश: विकास होता है। अन्तर्ज्ञान में व्यक्ति को अज्ञान से संदेश प्राप्त होते हैं जो ब्रह्म ज्ञान के आरम्भ की परिचायक है। अरविन्द ने अन्तर्ज्ञान को विशेष महत्त्व दिया है। अन्तर्ज्ञान द्वारा ही मानवता प्रगति की वर्तमान दशा को पहुँची है। अत: अरविन्द का आग्रह है कि शिक्षक को अपने शिष्य की प्रतिभा का नैत्यिक–कार्य द्वारा दमन नहीं करना चाहिए। वर्तमान शिक्षा पद्धति से अरविन्द का असंतोष इसी कारण था कि उनमें विद्यार्थियों की प्रतिभा के विकास का अवसर नहीं दिया जाता। शिक्षक को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विद्यार्थियों की प्रतिभा के विकास हेतु उनके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

अरविन्द की मस्तिष्क की धारणा की परिणति अतिमानस की कल्पना व उसके अस्तित्व में है। अतिमानस चेतना का उच्च स्तर है तथा दैवी आत्म शक्ति का रूप है। अतिमानस की स्थिति तक शनै: शनै: पहुँचना ही शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। अरविन्द के अनुसार भारतीय प्रतिभा की तीन विशेषताएँ हैं– आत्मज्ञान, सर्जनात्मकता तथा बुद्धिमत्ता। अरविन्द ने देशवासियों में इन्हीं प्राचीन आध्यात्मिक शक्तियों के विकास करने का संदेश देकर भारतीय पुनर्जागरण करना चाहा है। अरविन्द के शब्दों में–

भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान जैसी उत्कृष्ट उपलब्धि बगैर उच्च कोटि के अनुशासन के अभाव में संभव नहीं हो सकती जिसमें कि आत्मा व मस्तिष्क की पूर्ण शिक्षा निहित है।

इस प्रकार श्री अरविन्द के दर्शन की चरम परिणति उनके शैक्षिक दर्शन में होती है।

## वर्तमान शिक्षा–पद्धति से असन्तोष

प्रत्येक दार्शनिक अंतत: एक शिक्षाविद् होता है क्योंकि शिक्षा, दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। जैसा कि अभी हम देख चुके हैं – अरविन्द के दर्शन की चरम परिणति उनके शिक्षा–दर्शन में हुई है। वे वर्तमान शिक्षा–पद्धति से असन्तुष्ट थे। उनका कहना था–

सूचनात्मक ज्ञान कुशाग्र बुद्धि का आधार नहीं हो सकता। यह ज्ञान तो नवीन अनुसंधान तथा भावी क्रियाकलापों का आरम्भ मात्र होता है। वे आज की

**जिनका स्वभाव अच्छा होता है, उनको कभी भी अपना प्रभाव दिखाने की जरुरत नहीं होती।**

शिक्षा–पद्धति में भारतीय प्रतिभा की तीन विशेषताओं– आध्यात्मिकता, सर्जनात्मकता तथा बुद्धिमत्ता– का ह्रास एवं पतन देखते थे। इस पतन का कारण वे रुग्ण आध्यात्मिकता मानते थे।

## अरविन्द की शिक्षा पद्धति की संकल्पना

अरविन्द इस प्रकार की शिक्षापद्धति चाहते थे जो विद्यार्थी के ज्ञान–क्षेत्र का विस्तार करे, जो विद्यार्थियों की स्मृति, निर्णयन शक्ति एवं सर्जनात्मक क्षमता का विकास करे तथा जिसका माध्यम मातृभाषा हो। श्री अरविन्द राष्ट्रीय विचारों के थे, अत: वे शिक्षा–पद्धति को भारतीय परम्परानुसार ढालना चाहते थे। उन्होंने शिक्षा द्वारा पुनर्जागरण का संदेश दिया था। यह पुनर्जागरण तीन दिशाओं की ओर उन्मुख होना चाहिए:–

(1) प्राचीन आध्यात्म–ज्ञान की पुर्नस्थापना;

(2) इस आध्यातम–ज्ञान की दर्शन, साहित्य, कला, विज्ञान व विवेचनात्मक ज्ञान में प्रयोग; तथा

(3) वर्तमान समस्याओं का भारतीय आत्म–ज्ञान की दृष्टि से समाधान की खोज तथा आध्यात्म प्रधान समाज की स्थापना।

## शिक्षा के लक्ष्य

श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य विकासशील आत्मा के सर्वांगीण विकास में सहायक होना तथा उसे उच्च आदर्शों के लिए प्रयोग हेतु सक्षम बनाना हैं। अरविंद के विचार महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के लक्ष्यों के समान हैं। अरविंद की धारणा थी कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में यह विश्वास जागृत करना है कि मानसिक तथा आत्मिक दृष्टि से पूर्ण सक्षम है तथा वह शनै: शनै: अतिमानव की स्थिति में आ रहा है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति की अन्तर्निहित बौद्धिक एवं नैतिक क्षमताओं का सर्वोच्च विकास होना चाहिए। अरविंद का विश्वास था कि मानव दैवी शक्ति से समन्वित है और शिक्षा का लक्ष्य इस चेतना शक्ति का विकास करना है। इसीलिए वे मस्तिष्क को छठी ज्ञानेन्द्रिय मानते थे। शिक्षा का प्रयोजन इन छ: ज्ञानेन्द्रियों का सदुपयोग करना सिखाना होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि–मस्तिष्क का उच्चतम सीमा तक पूर्ण प्रशिक्षण होना चाहिए अन्यथा बालक अपूर्ण तथा एकांगी रह जायेगा।

अत: शिक्षा का लक्ष्य मानव–व्यक्तित्व के समेकित विकास हेतु अतिमानस का उपयोग करना है।

## पाठ्यक्रम

शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में अरविन्द चाहते थे कि अनेक विषयों का सतही ज्ञान कराने की अपेक्षा विद्यार्थियों को कुछ चयनित विषयों का ही गहन अध्ययन कराया जाये। वे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग मानते थे क्योंकि उनका विचार था कि प्रत्येक बालक में इतिहास बोध होता है जो परीकथाओं, खेल व खिलौनों के माध्यम से प्रकट होता है। अत: बालकों को अभिरुचि अपने देश के साहित्य एवं इतिहास के प्रति विकसित करनी चाहिए।

अरविन्द के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में जिज्ञासा, खोज, विश्लेषण व संश्लेषण करने की प्रवृत्ति होती है। अत: वे विज्ञान को पाठ्यक्रम में स्थान देते थे। विज्ञान द्वारा मानव प्राकृतिक वातावरण को समझता है तथा उसमें वस्तुनिष्ट बुद्धि के विकास हेतु अनुशासन आता है। मस्तिष्क को प्रधानता देने के कारण अरविन्द पाठ्यक्रम में मनोविज्ञान विषय को भी सम्मिलित करना चाहते थे जिससे कि समग्र जीवन–दृष्टि विकसित हो सके। इसी उद्देश्य से वे पाठ्यक्रम में दर्शन एवं तर्कशास्त्र को भी स्थान देते थे।

**आदमी के पास अपनी सबसे बढ़िया पूंजी है, उसके अपने अच्छे विचार।**

## नैतिक शिक्षा

अरविन्द बालक के बौद्धिक विकास के साथ उसका नैतिक एवं धार्मिक विकास भी करना चाहते थे। उनकी धारणा थी– मानव की मानसिक प्रवृत्ति नैतिक प्रवृति पर आधारित है। बौद्धिक शिक्षा, जो नैतिक व भावनात्मक प्रगति से रहित हो, मानव के लिए हानिकारक है। नैतिक शिक्षा हेतु अरविन्द गुरु की प्राचीन भारतीय परंपरा के पक्षधर थे जिसमें गुरु, शिष्य का मित्र, पथ प्रदर्शक तथा सहायक हो सकता था। अनुशासन द्वारा ही विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का निर्माण हो सकता है। नैतिक संसूचन विधि द्वारा दी जानी चाहिए जिसमें गुरु व्यक्तिगत आदर्श जीवन एवं प्राचीन महापुरुषों के उदाहरण द्वारा विद्यार्थियों को नैतिक विकास हेतु उत्प्रेरित करे।

## शिक्षण–विधि तथा शिक्षक

अरविन्द के अनुसार शिक्षण एक विज्ञान है जिसके द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन आना अनिवार्य है। उनके शब्दों में– वास्तविक शिक्षण का प्रथम सिद्धान्त है कि कुछ भी पढ़ाना संभव नहीं अर्थात् बाहर से शिक्षार्थी के मस्तिष्क पर कोई चीज न थोपी जाये। शिक्षण प्रक्रिया द्वारा शिक्षार्थी के मस्तिष्क की क्रिया को ठीक दिशा देनी चाहिए्। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत अभिवृत्ति एवं योग्यता के अनुकूल शिक्षा देनी चाहिए्। विद्यार्थी को अपनी प्रवृति अर्थात् स्वधर्म के अनुसार विकास के अवसर मिलने चाहिए्। अरविन्द मानस अर्थात् मस्तिष्क को छठी ज्ञानेन्द्रिय मानते थे जिसके विकास पर वे अधिक बल देते थे। विकसित मानस से सूक्ष्म दृष्टि उत्पन्न होती है जिससे निष्पक्ष दृष्टिकोण विकसित होता है। योग द्वारा चित्त शुद्धि शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए्। अरविन्द की दृष्टि में वही शिक्षक प्रभावी शिक्षण कर सकता है जो उपरोक्त विधि से विद्यार्थी का विकास करे। शिक्षित विद्यार्थियों को ज्ञानेन्द्रियों तथा मस्तिष्क के सही उपयोग द्वारा उनकी पर्यवेक्षण, अवधान, निर्णय तथा स्मरण शक्ति का विकास करने में सहायता करे। शिक्षण बालकों की तर्क शक्ति के विकास द्वारा उनमें अंतर्दृष्टि उत्पन्न करे। अरविन्द शिक्षक का महत्व प्रकट करते हुए कहते थे कि–

शिक्षक प्रशिक्षक नहीं है, वह तो सहायक एवं पथप्रदर्शक है। वह केवल ज्ञान ही नहीं देता बल्कि वह ज्ञान प्राप्त करने की दिशा भी दिखलाता है। शिक्षण–पद्धति की उत्कृष्टता उपयुक्त शिक्षक पर ही निर्भर होती है।

धन–द्रव्य समाज हित में खर्च करने की सामर्थ्य हो तो खर्च करो–पर समाज में रुचि लेना बंद न करें।सभी जन समाज में रुचि लेते रहेंगे तो इसकी पहचान खत्म नहीं होगी। आज धनावंश के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसकी पहचान की है। इसे धनावंशी समझ नहीं रहे हैं। एक शुद्ध धनावंशी परिवार के वैवाहिक सम्बन्ध किसी गैर जाति में हो क्या आपको यह गवारा करेगा? धनावंशी युवक––युवती को कोई अपने पंथ की मर्यादाओं को बतानेवाला ही नहीं है, ऐसे में उसे अपने कुल का भान ही नहीं रहता––वे चाहे जिसी जाति के साथ वैवाहिक सम्बन्ध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक पल के लिए भी ऐसे युवा नहीं सोचते कि एक धनावंशी के लिए यह कितना अनुचित है। इसमें हम सब की अवहेलना का ही दोष है। खामोश रहोगे तो–देखते देखते आपके समाज की पहचान नष्ट हो जाएगी।

जैन समाज का आगम ग्रंथ है–– दशवैकालिक आगम उसमें उल्लेख है कि जो गुरु की आशातना (अवहेलना) करता है, भले ही वह कितना ही ताकतवर हो, जिससे उसे अग्नि भी जला न पाए, क्रुद्ध होने के बावजूद सर्प न खाए, हलाहल (विष) पीकर भी मरे नहीं, पर गुरु की अवहेलना करने के कारण उसकी मोक्ष कदापि संभव नहीं है। सदा प्रणम्य गुरु देव धनाजी महाराज की अवहेलना करनेवाले अहंकारी का क्या होगा–इसे तो भगवान ही जानते हैं।

**खुशिया बाजार में नहीं मिलती, उसे अपने अंदर ही ढूंढो-मिल जायेगी।**

आलेख

चेतन स्वामी

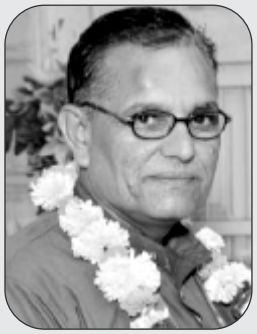

# ज्ञान के आगार होते हैं विभिन्न सम्प्रदायों के प्रमुख धाम

इस बात से कोई अनभिज्ञ नहीं है कि व्यक्ति का आत्म विकास सद्ग्रंथों से सम्भव है। जो ग्रंथों से दूर रहता है–उसे ही तो हम अनपढ और अज्ञानी कहते हैं। पुस्तकों में ज्ञानियों और अन्वेषकों के सुचिंतित विचार, उपदेश और शोध रूप में उपस्थित रहता है। अपने अनुभवों को लिखने की परम्परा का सूत्रपात मनुष्य ने सभ्य होने के साथ ही कर लिया। सभ्यताएं क्या है? वस्तुतः ज्ञान की सरणियां ही सभ्यताएं हैं। जब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ, तब तक प्रस्तर खंडों, धातु पट्टिकाओं, गीली मिट्टी के जमावों, कपड़े तथा भोजपत्रों पर लिखकर ज्ञान को संचित किया गया। प्रसंग आता है–महर्षि वाल्मीकि से भी पहले हनुमानजी ने पूरी रामायण प्रस्तर खंडों पर लिख डाली थी। विभिन्न गुफाओं की दीवारों पर हजारों वर्ष बहुत कुछ लिखा मिलता है। मिट्टी के बरतनों की तरह गीली मिट्टी पर लिखकर उसे पकाया जाता। संस्कृत जैसी सम्पूर्ण वैज्ञानिक भाषा प्राचीन काल के उन्नत ज्ञान–विज्ञान का संकेत देती है।

हमारे पौराणिक आख्यानों में मिलता है कि असुर वेदों को लेकर छुप जाते तो भगवान विभिन्न रूपों में अवतरित होकर उन्हें वापस लाते और उन्हें ऋषि–मुनियों को सौंपते। ज्ञान की उपादेयता और प्रतिष्ठा के हजारों प्रसंग मिलते हैं। श्रीमद्भगवद् गीता में अनेक दानों की महिमा बताई है किन्तु विद्या दान को ही सर्वोपरि कहा भगवान श्रीकृष्ण ने।

अगर शब्द की ज्योति न होती तो सूर्य होते हुए भी यह संसार अंधकारमय होता। व्यक्ति जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। यह सब ग्रंथों से ही संभव है। व्यक्ति की अच्छी आदतों और दिनचर्या में सबसे अच्छी और सर्व प्रिय आदत अध्ययन करने की है–आज भी और हजारों वर्षों पहले भी । पुस्तकें क्या है? किसी मनीषी ने पूरे जीवन जिस ज्ञान को खोजा उसे ग्रंथ रूप में संकलित कर दिया। हमारा सौभाग्य है कि हम उस ज्ञान को कुछ ही दिनों में जानकर परितृप्ति प्राप्त कर सकते हैं। सद्ग्रंथों के रचयिताओं के परोपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ और उष्ण रहने के लिए भोजन, प्राण वायु–प्रकाश आदि की आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार भीतर के चैतन्य को ग्रंथ ऊर्जस्वित रखते हैं। चेतनाशील व्यक्ति वही है जो निरंतर स्वाध्याय करता है। हमारे भारतवर्ष को ज्ञान गुरु यानि विश्व गुरु इसीलिए कहा गया,क्योंकि यहां ज्ञान की थाती को सर्वोपरि रखा गया।

विभिन्न ऐतिहासिक कालों में पूर्व मध्यकाल को यहां भक्ति काल कहा गया। इस काल में बहुत से धर्म–सम्प्रदायों का अभ्युदय हुआ। अनेक पंथ बने। असंख्य धार्मिक ग्रंथों का लेखन हुआ। भले दार्शनिक और मान्यताओं का ज्ञान भेद रहा। अनुयायियों की विभिन्न परम्पराएं विकसित हुई,पर ग्रंथ रचने की परिपाटी सभी सम्प्रदायों में एक समान रही। इस आधुनिक युग में भी सैकड़ों वर्षों पूर्व रचित उन ग्रंथों की समीचीनता को नकारा नहीं जा रहा है और सैकड़ों विश्व विद्यालयों में उन पर शोध किया जा रहा है।

आतताइयों से भले ही मंदिरों को नहीं बचाया जा सका,

**धोखा लोग हमेशा गलत इंसान से खाते है, पर बदला हमेशा सही इंसान से लेते है।**

पर ग्रंथ भण्डारों को बचाने के सभी प्रयास किए गए। आज उसी का सुफल है कि लाखों की संख्या में हस्त लिखित ग्रंथ पांडुलिपियों के रूप में सुरक्षित रह पाए। तुलसीदासजी की रामचरितमानस को कुछ लोगों ने नष्ट करने का षडयंत्र रचा तो स्वयं हनुमानजी महाराज ने बंदर रूप में प्रकट होकर उन षडयंत्रकारियों को सबक सिखाया। ज्ञान को परमात्म स्वरूप कहा गया है।

सभी धार्मिक सम्प्रदायों ने अपने धर्म ग्रंथों को बड़ा भारी आदर दिया। सिक्ख धर्म ने तो अपने गुरुओं द्वारा संकलित वाणी को गुरुग्रंथ साहब के रूप सूपूजनीय बना दिया। विभिन्न दादू द्वारों में अखण्ड रूप से दादू वाणी का पाठ कर गुरु के वचनों को सम्मान दिया जाता है। शाहपुरा के राम स्नेही स्थल पर भी वाणीजी का पाठ निरंतर होता है।

सभी धार्मिक सम्प्रदायों के स्थानों पर विशालकाय ग्रंथ भण्डार बने हुए हैं जहां बहुत करीने से अपने सम्प्रदाय विषयक तथा उससे सम्बन्धित दूसरे ग्रंथों का हजारों की संख्या में संग्रह है। यह सुखद बात है कि ज्ञान संचय की इस परम्परा में अनेक शताब्दियों के बावजूद शैथिल्य नहीं आया है। विगत दिनों विश्नोई सम्प्रदाय ने तो बीकानेर में एक प्रथक्क जांभाणी साहित्य अकादेमी ही स्थापित कर अपने धर्म का प्रचार–प्रसार तथा ग्रंथ प्रकाशन का काम अबाध रूप से कर रही है। यह सब इसलिए किया जाता है, क्योंकि सभी सम्प्रदाय अपनी धार्मिक–आध्यात्मिक परम्पराओं को मिटाना नहीं चाहता है, बल्कि उसको और अधिक विकसित करना चाहता है। पर धनावंश ?

# आप धनावंशियो के लिए उपयोगी जानकारी

1 रामानंद जी के 12 शिष्य हुए, उनमें एक धनाजी थे ।

2 रामानंद जी के प्रथम शिष्य थे –अनन्तानंदजी यानि धनाजी के गुरू भाई ।

3 अनन्तानंदजी के एक शिष्य हुए कृष्ण दास जी पयहारी उन्होंने 16 वीं शताब्दी मे गलता आश्रम की स्थापना की, ये धनाजी के बाद हुए ।

4 कृष्ण दास जी पयहारी के शिष्य दो शिष्य हुए 1–कील्ह दास जी दूसरे अग्र दास जी, कील्ह दास जी गलता पीठ के आचार्य हुए, यह रामावतों की एक बड़ी पीठ है ।

5 अग्र दास जी ने गलता से अलग हो कर रैवासा में नई पीठ की स्थापना की ।उनका जन्म संवत 1553 में हुआ, उन्होंने दीक्षा संवत 1572 ग्रहण कर रामानंद सम्प्रदाय में एक नई परम्परा के अनुसार –रसिक सम्प्रदाय – की स्थापना की ।इस सम्प्रदाय के अनुसार भक्त भगवान श्रीराम की सखी बन कर अष्टयाम पूजा करे ।

तो, मेरे आदरणीय भाइयो धनावंशी पंथ का गलता और रैवासा से कोई सम्बन्ध नहीं है । चूँकि हम अपना कोई स्थान बना नहीं पाए हैं, इसलिए पुष्कर, गलता, रैवासा जाकर संतुष्टि करते हैं ।धुवांकलां में धनाजी के यहां माथा टेकना पंसद नहीं है ।ईश्वर जाने यह अज्ञानता कितने वर्षों तक कायम रहेगी ?

**परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में कभी मजबूरियों के रूप में,**
**किस्मत तो बस आपकी और हमारी काबिलियत देखती है।**

# आपके पत्र–आपकी भावनाएं

## यह था नवम् अंक

अद्भुत सारगर्भित यथार्थ इतिहास का प्रथम सोपान डॉक्टर चेतनजी स्वामी ने लिखा है और धनावंशी हित पत्रिका के अंक में प्रकाशित किया है। एक विद्वान की यह पहचान होती है कि वह बिना किसी लाग लपेट के यथार्थ बात को ही लिखता है और वर्तमान समय में डॉक्टर चेतन स्वामी के अतिरिक्त समाज के भविष्य और अतीत को लेकर चिंतित शायद ही कोई दूसरा विद्वान लेखक हो।

अध्याय प्रथम पढ़कर मन में आशा और विश्वास दृढ हुआ है कि आनेवाले समय में जब हमारा इतिहास पूर्ण होकर हर घर में पहुंचेगा तो भविष्य में अलग–अलग जो भ्रांतियां समाज उत्पत्ति को लेकर फैली हुई है उन पर पूर्ण विराम लगेगा।

गुरुदेव धनाजी महाराज के प्रति आने वाले समय में हर कोई यथार्थ जानेगा और अपने मन और कर्म से गुरु के प्रति समर्पित होकर हमारा धनावंश प्रगति करेगा।

इन बातों को सोच कर मेरे मन में तो आज ही प्रसन्नता हो रही है। मैं कल्पना कर रहा हूं कि आने वाला समय समाज के एकमत होकर आगे बढ़ने का होगा।

इस इतिहास लेखन के लिए समाज डॉक्टर साहब की जितनी प्रशंसा करे, उतनी कम है। बहुत–बहुत साधुवाद्। डॉक्टर चेतन जी को और समाज के उन सभी बुद्धिजीवियों को जो समाज हित के लिए चिंतित और धनावंश इतिहास लेखन के लिए चेतन जी से आग्रह कर रहे थे आप सभी महानुभावों का आने वाला समय समाज हित की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला हो ऐसी प्रार्थना गुरुदेव धनाजी और ठाकुर जी महाराज से करते हैं।

**-घनश्यामदास पुजारी, श्रीडूंगरगढ़**

जय ठाकुर जी महाराज की। जय श्री गुरुदेव धनाजी महाराज की।

डोली मुद्दे का हल, हम सब संगठित होकर ही प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई पार्टीबाजी ना हो और इस हक की लड़ाई के लिए हम सब एक बनें तभी इसका कोई समाधान या हल निकल पाएगा ! ऐसा ना हो कि मुझे क्या करना है? मेरे पास तो कोई डोली की जमीन ही नहीं है ? इस संकट की घड़ी में तो हम सब को एक साथ होना ही है!

इसके लिए जो भी कमेटी आगे काम कर रही है या जो भी बंधु काम कर रहे हैं। उनका सपोर्ट किया जाए और उनका फॉलोअप लिया जाए और इसके लिए विचार–विमर्श भी किया जाए ताकि विचार आदान–प्रदान से उसका कुछ हल निकल सकता है!

**-देवीदत्त स्वामी, सूरत**

**सबकुछ जानकर भी अनजान बने रहना, एक अच्छे इंसान की आदत होती है।**

आदरणीय प्रोफेसर साब सादर प्रणाम। समाज को एकजुट करने के आपके प्रयासों को नमन।

जहां हम समाज की बात करते हैं तो समाज का तात्पर्य होता है समाज बंधुओं के विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, बौद्धिक ,आर्थिक एवं सामाजिक )में परस्पर सहयोग का एक बंध या घेरा तैयार कर विभिन्न सम्भावनाओं का बेहतर सदुपयोग करना एवं समाज को उन्नति के पथ पर अग्रसर करना। जहां तक धनावंशी समाज की बात है तो समाज अलग–अलग हिस्सों में बंटा हुआ है। कमजोर वर्ग, धनाढ्य वर्ग एवं शिक्षित वर्ग ये तीन वर्ग दिखाई देते हैं। इन तीनों वर्गों में वास्तव में देखें तो सामंजस्य का काफी अभाव है।

जब तक तीनों वर्गों का आपस में सामंजस्य नहीं होगा तब तक सारी बातें ऊपर से निकल जाती है। अभी हमारा समाज समाजिक सरोकार एवं समाज व्यवस्था के तीव्र विकास में बहुत धीमा है। इतनी जल्दी मनोवृत्ति में परिवर्तन होना सम्भव नहीं है।

**-राजेन्द्र स्वामी, लालगढ़**

What can I give to Dhanawansh ? Many people say that I do not have anything, then what can I give to the society .If we look at the history, then it seems that whatever has been received by the society till date has come from such great men who had nothing to give. money is not everything. You can also work for the upliftment of society by giving your time.I am young and I have been associated with society for a long time at regional level, I have also attended some programs in the society hostel jodhpur. When i were student I meet people of the society, they are always ready for some help in education . Till date, no one has ever refused to do any work.. so m happy with the work of society.I also had a request /opinions that in whatever work we are doing for our socity under Dhanawanshi Mahasabha then divide the work in parts. distribution of work should be done so that person can fully focus on it with specializations as if some people are given the work of education, some people should be given research work on Dhanna ji . Some for hostels and education Some people should be given the task of women's empowerment. Some people should be given the task of uplifting poverty. Some business class may provide opportunity to work for unemployed, some for fund collection and accountability ,some for information technology cell etc .never say that I have nothing to give. so what can I give to society. beleive me your time is important for society. your words your plan your positive attitude toward society also play role .Thank you Chetan ji swami Sir. Dhannawanshi hitt group is doing good job under your leadership . I am happy with your work and impressed by your ideology.

Thank you

**Yudhishthar Swami, Jodhpur**

धन्नावंशी कहाँ–कहाँ फैले हुए हैं एवं कितनी संख्या में इसे जानने के लिये www.dhannavanshi.com पर जनगणना पेज पर जाकर देखें।

यदि आपके गाँव/शहर का डेटा नहीं है तो आप डाल सकते हैं। डेटा डालने से पहले ध्यान रखें कहीं पहले से डेटा उपलब्ध हैं या नहीं। यदि डाला हुआ हैं तो जांच कर ले कि सही है या इसमे सुधार की जरूरत है।
जितने जाति नख/गोत्र है उतनी बार अलग अलग एंट्री करें। किसी को यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही हो या डेटा में बदलाव करना हो तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें।

फ़ोन 9350308314 (प्रेम दास, झाड़ेली, नागौर)

**पने उद्देश्य को पाने के लिए संघर्ष करना, निष्क्रिय रहने से कहीं अधिक बेहतर है।**

## श्री धनावंश हित में विज्ञापन सहयोग करने वाले धनावंशी बंधु

1. श्री रामचंद्र स्वामी, स्वामियों की ढाणी
2. श्री रघुवीर आनन्द स्वामी, अहमदाबाद
3. श्री सुखदेव स्वामी, अहमदाबाद
4. श्री लक्ष्मणप्रसाद स्वामी, पलसाना
5. श्री पदमदास स्वामी, बीदासर
6. श्री गोपालदास स्वामी, पालास
7. श्री गोविन्द स्वामी, हैदराबाद
8. श्री श्रवणकुमार बुगालिया, दिल्ली
9. श्री भागीरथ बुगालिया, दिल्ली
10. श्री गोपालदास महावीर स्वामी, थावरिया
11. श्री बृजदास स्वामी पुत्र श्री सीतारामदास परिव्राजक, सूरत
12. श्री ओमप्रकाश स्वामी, पाली
13. डॉ. घनश्यामदास, नोखा
14. श्री मनोहर स्वामी, अजीतगढ़
15. श्री गुलाबदास स्वामी, जोधपुर
16. श्री बनवारी स्वामी, स्वामियों की ढाणी
17. श्री त्रिलोक वैष्णव, जोधपुर

उपरोक्त सभी धनावंशी बंधुओं का आभार। अन्य जनों से भी निवेदन है कि इस पत्रिका के सुचारु प्रकाशन हेतु अपना विज्ञापन सहयोग प्रदान कर कृतार्थ करें।–प्रकाशक

## पत्रिका के विशिष्ट सहयोगी

सांवरमल स्वामी, आबसर
अर्जुनदास स्वामी, हरियासर
देवदत्त स्वामी, सूरत
लालचन्द स्वामी, धोलिया
बजरंगलाल स्वामी, लालगढ़
प्रेमदास स्वामी, खिंयाला

## श्री धनावंशी हित

यह पत्रिका धनावंशी समाज की एकमात्र पत्रिका है। कृपया इसके प्रचार–प्रसार में अपना योगदान प्रदान करें।

- पत्रिका में विज्ञापन, बधाई संदेश, सूचना, समाचार तथा रचनाएं भिजवाकर अनुगृहीत करें।
- यह अंक आपको कैसा लगा? अपनी राय से अवगत करवायें।
- पत्रिका का सालाना शुल्क 200/– रुपये है। कृपया सदस्य बने।
- **पता–श्री धनावंशी हित, धनावंशी प्रकाशन, कालू बास, श्रीडूंगरगढ़–331803 (बीकानेर) * मो.: 9461037562**

दोहा

1. प्रभुता वाचक शब्द सब स्वामी सम ना कोय ।
   भक्त कृपा बल पायके धन्नावंस नित जोय ।।
2. एक पत्नी परिवार का एक स्वामी है देश ।
   एक समाज एक सृष्टि का स्वामी मान् विशेष ।।
3. स्वामी वैष्णव हरिभगत वैरागी अरु साध ।
   शब्द अर्थ शरणांगती हरि से प्रीति अगाध ।।
4. हरि की भक्ति अमोल निधि पाई धन्नावंस ।
   धन्ना भक्त गुरू देव म जरा न कीजे संष ।।

शीर्षक

ऐसो भक्त भयो है महान रे सांवरियो ज्यारै हाजर खड्यो ।
हाजर खड्यो रे ज्यारै त्यार खड्यो ज्यारै हाजर खड्यो ।।

अन्तरा

1 एक समै एक गांव में भाई आया वैरागी संत।
आय जाट घर वासो लीन्हो नाम जपै भगवंत ।।
सांवरियो ज्यारै-------

2 गृहस्थी कै एक छोटो बालक जिणरो धन्नो नांव ।
मात पिता रो घणों लाडलो शील स्वभाव गुणवान ।।
सांवरियो ज्यारै--------

3 संतां पूजा करी प्रेम से लियो हरि को नाम ।
धन्नों हट चट पड गयो जी मैं तो लेऊंलो सालगराम ।।
सांवरियो ज्यारै-------

4 दूजो नकली पत्थर दीन्हो बाळक लियो भुळाय ।
पूजा पाठ बताया सारा जीमो थे ठाकुरजी नै जिमाय।।
सांवरियो ज्यारै--------

5 न्हाय धोय धन्नै पूजा कीन्ही भोजन लियो बणाय ।
अर्पण करके बैठ्यो साम्हनै जीमो थे ठाकुरजी बेगा आय ।।
सांवरियो ज्यारै-------

6 दोय च्यार दिन बीत्या प्रभुजी मनमें कर् यो विचार ।
भोळो बाळक हट नहीं छोडै पक्का तो पड्या है संस्कार।।
सांवरियो ज्यारै-------

7 आय प्रभुजी दर्शन दीन्हा रूप चतुर्भुज धार ।
प्रेमा भागती जागी हिरदै प्रगट ज्ञान उजियार ।।
सांवरियो ज्यारै-------

एक भक्त भयो निस्काम सांवरियो ज्यारै हाजर खड्यो ।।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री

## सदस्यता शुल्क एवं अन्य भुगतान निम्न खाते में करें।

**Dhanavanshi Prakashan**
A/c No. - 38917623537
Bank - State Bank of India
Branch - Sridungargarh
IFSC code - SBIN0031141

**बुराई होना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर रोज अगर तारीफ मिलेगी तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पायेंगे।**

।।श्री सालासर बालाजी के चरणो में वन्दन।।

सुखदेव स्वामी
कल्याणसर

नथमल स्वामी
कल्याणसर

# Shree Salasar Balaji Polysack Pvt.Ltd.

## MFG. OF HDPE/LDPE/TARPOULIN

**Unit-I**
110/2 Ambuja Synthetic Mills Compound, B/H, Old Narol Court, Narol, Opp. Jyoti Nagar, Ahmedabad - 382405

**Unit-II**
Plot No 7A & 7B Soham Industrial Park, Bareja Mahijada Dholka Road , Village Mahijada, Tal. Daskroi, Dist. Ahmedabad 382425.

**Office**
Shree Salasar Balaji Polysack Pvt.Ltd.244/ Second Floor, New Cloth Market Sarangpur Ahmedabad

Mail ID-ssbjpahm@gmail.com ■ Web : shreesalasarbalaji.com

**Contact : 09428732971, 09727735371**

## ।। श्री धनायंशी स्वामी समाज के प्रति हार्दिक शुभकामनाएं ।।

**ओमप्रकाश पोटलिया**
Flourmill Contractor And
Quality Controller

**योगेश पोटलिया**
M.B.A.
Medvarsity Online Ltd.

**उदित पोटलिया**
Advocate, Delhi High Court
Bombay high court
Insolvency and Arbitration

गांव सालवा कलां, जोधपुर ✻ आशापूर्ण वेली, न्यू हाईकोर्ट के पास, जोधपुर

M.: 9818012501

If Undelivered Return To
सम्पादक : श्री धनावंशी हित
धनावंशी प्रकाशन
कालू बास, पोस्ट : श्रीडूंगरगढ़-331803
जिला-बीकानेर (राज.) मो.: 9461037562

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, सम्पादक चेतन स्वामी द्वारा धनावंशी प्रकाशन, कालू बास, श्रीडूंगरगढ़ द्वारा प्रकाशित एवं महर्षि प्रिण्टर्स, श्रीडूंगरगढ़ द्वारा मुद्रित ।